मई 2015

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
अनिल माथुर

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

संपादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री कन्यादान समारोह

राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर पुरस्कृत मध्यप्रदेश

इसअंक में

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : सामाजिक समरसता का महाकुंभ 3
विशेष : टीकाकरण में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे 12
सम्मान : राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर मध्यप्रदेश की पंचायतें हुईं पुरस्कृत 13
खास खबरें : गाँवों के विकास की समन्वित योजना बनेगी 14
समीक्षा-बैठक : विकास योजनाओं के बेहतर अमल का ताना बाना 18
पहल : मध्यप्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम 26
मनरेगा : मनरेगा में मजदूरी बढ़ी 28
पंचायत निर्वाचन : आजीविका से पंचायत प्रतिनिधि तक 29
साक्षात्कार : जिला पंचायत अध्यक्ष सीहोर श्रीमती उर्मिला मनोहर मरेठा 31
अच्छी पहल : सब्जी उत्पादन से स्थाई आजीविका 35
पंचायत : पंचायतें और सूचना का अधिकार 37
धरोहर : स्मारक भी बदलते हैं जीवन 39
पंचायत गजट : ग्रामसभाओं का अनिवार्य त्रैमासिक सम्मेलन 44

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

विगत दिनों प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत कई सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों में प्रदेश के निर्धनजनों के पुत्र-पुत्रियों का विवाह शासन द्वारा कराया जाता है। ऐसा ही एक विवाह सम्मेलन सागर जिले के गढ़ाकोटा क्षेत्र में हुआ। इस समारोह में 1350 नव-विवाहित जोड़ों के साथ पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव के पुत्र और पुत्री का विवाह भी सम्पन्न हुआ। इस खबर को हमने 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर मध्यप्रदेश की विदिशा, हरदा जिला पंचायत सहित सोलह पंचायतों को पुरस्कृत किया गया इस खबर को हमने सम्मान स्तम्भ में शामिल किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहारे जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग लिया। इस खबर को 'खास खबरें' स्तंभ में शामिल किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कई विकास योजनाएँ और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन यह तभी सफल होंगे जब इन्हें मैदानी स्तर पर बेहतर अमल में लाया जाए। इसी संबंध में विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने जबलपुर में एक संभागीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस जानकारी को हमने कार्यशाला स्तंभ में प्रकाशित किया है। प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को उभारने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाए जायेंगे। इस जानकारी को 'पहल' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर में इजाफा किया गया है। इसकी जानकारी 'मनरेगा' स्तंभ में प्रकाशित की गई है। हाल ही में सम्पन्न पांचवें पंचायत चुनावों के बाद सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और अपने कार्यों की प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने कई जिला पंचायत अध्यक्षों से बात की है जिसे 'साक्षात्कार' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है। प्रदेश में एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रत के तहत सीमांत व छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों की संवहनीय आजीविका विकास के लिए जलग्रहण स्व-सहायता समूहों का गठन किया है जिसे 'अच्छी पहल' स्तंभ में शामिल किया गया है। भोपाल जिले की ग्राम पंचायत इस्लामनगर जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से काफी समृद्ध है। वहाँ की प्राचीन इमारतें और महल पर्यटन स्थल के रूप से काफी प्रसिद्ध हैं और स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका का साधन भी है। इस जानकारी को हमने 'धरोहर' स्तंभ में प्रकाशित किया है और अंत में 'पंचायत गजट' स्तंभ में हमने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में होने वाले ग्रामसभाओं के अनिवार्य त्रैमासिक सम्मेलन की जानकारी को प्रकाशित किया है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता का महाकुंभ

पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव के पुत्र-पुत्री सहित 1350 नव-दम्पति ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अप्रैल को सागर जिले के गढ़ाकोटा में सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन को सामाजिक समरसता का महाकुम्भ बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन में समाज की हर जाति और सम्प्रदाय की कन्याओं के विवाह एक मण्डप के नीचे उनकी धार्मिक पद्धति के अनुसार करवाये जाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी जैसे विकास कार्य करवाने के साथ समाज-सुधार भी करना है। उन्होंने कहा कि जिस देश में माता-बहनों का सम्मान नहीं होता, वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता। मध्यप्रदेश सरकार ने समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये स्थानीय निर्वाचन में 50 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया है। हाल में पुलिस की भर्ती में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं। श्री चौहान ने कहा कि सामूहिक सम्मेलन में शामिल होने वाले ऐसे नव-दम्पति को सरकार 12 हजार रुपये की राशि दे रही है, जिनके यहाँ शौचालय नहीं हैं। इस राशि का उपयोग वे शौचालय के निर्माण में कर सकेंगे। उन्होंने नव-विवाहित जोड़ों के भविष्य की मंगल-कामना करते हुए कहा कि वे सदा सुखी रहें, शतायु हों और ईश्वर उन्हें

सुखी रखकर उनके दुःख मुझे दे दे। इस सम्मेलन का आयोजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अगुवाई में हुआ। श्री भार्गव के पुत्र श्री अभिषेक और पुत्री डॉ. अवंतिका का विवाह भी सामूहिक विवाह समारोह में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 1350 गरीब कन्याओं के विवाह हुए। इस अवसर पर मंत्रि-मण्डल के सदस्य, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, संत श्री प्रभाकर शास्त्री और अनेक गणमान्य विभूतियों ने नव-दम्पतियों को आशीर्वाद दिया।

कुशल-क्षेम सम्मेलन - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सम्मेलन में शामिल नव-दम्पतियों के आगे का जीवन कैसा चल रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिये कुशल-क्षेम सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। सम्मेलन में विवाहित जोड़ों को आमंत्रित कर उनकी कुशल-क्षेम पूछी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार मदद की जायेगी। यह परम्परा पूरे प्रदेश में लागू होगी।

श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि गढ़ाकोटा के 14वें सम्मेलन में ऐसी परम्परा शुरू हो चुकी है। पुराने आयोजन में विवाह करने वाले दम्पतियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।

श्री भार्गव ने बताया कि गढ़ाकोटा में सामूहिक विवाह सम्मेलन वर्ष 2001 से प्रारंभ हुआ था। यह 14वाँ समारोह है, जिसमें 30 मुस्लिम कन्याओं के निकाह भी हो रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न जाति के कन्या विवाह वैदिक परम्परा से हो रहे हैं। हर वर्ग और जाति को एक मण्डप में बैठाकर परिणय बँधन में बाँधने की परम्परा सामाजिक समरसता के लिये किया गया प्रयास है। सभी जोड़ों को भोजन, ठहरने और आने-जाने की व्यवस्था समान रूप से उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले के आयोजन के बारे में कुछ लोगों ने व्यक्त किया था कि गरीब कन्याओं का विवाह करवाकर दिखावा किया जाता है। यदि वे अपने बच्चों की शादी सम्मेलन में करवायें तभी उन्हें सच्चा जन-प्रतिनिधि समझा जायेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर सम्मेलन में अपने इकलौते पुत्र और पुत्री का विवाह गरीब कन्याओं के साथ सम्पन्न करवाया है। समारोह को श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इकलौते पुत्र-पुत्री का विवाह सम्पन्न करवाने के निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने श्री भार्गव को पुष्प-हार पहनाकर सम्मानित भी किया। विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुँवर विजय शाह, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, श्री अरविंद मेनन, सांसद श्री अनूप मिश्रा एवं श्रीमती रीति पाठक, विधायक सर्वश्री शैलेन्द्र जैन, प्रदीप लारिया, हरवंश सिंह राठौर, महापौर श्री अभय दरे, पूर्व मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया सहित अनेक जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

सिवनीमालवा के विकास की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अप्रैल को होशंगाबाद जिले के सिवनीमालवा तहसील के ग्राम आयपा में यदुवंशी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सिवनीमालवा एक समृद्ध क्षेत्र है। क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारी मौजूद थे।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं। इन योजनाओं से समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और अब बेटी के जन्म पर खुशियाँ मनाई जाने लगी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान, लाड़ली लक्ष्मी, गाँव की बेटी, निःशुल्क साइकिल वितरण जैसी अनेक योजनाओं की अन्य राज्यों में भी सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने से भी महिलाओं का सम्मान बढ़ा है।

श्री चौहान ने कहा कि पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, जिससे बेटियाँ पुलिस में भर्ती होकर अन्य महिलाओं और बेटियों की रक्षा कर सकेंगी। उन्होंने नवदंपति ममता और भीमसिंह को विवाह प्रमाण-पत्र एवं 10 हजार रुपये का चेक भेंट किया। यदुवंशी समाज के इस सम्मेलन में 55 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए।

होशंगाबाद जिले के सिवनीमालवा तहसील के ग्राम आयपा में यदुवंशी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

निःशक्तजन को विवाह में

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 मार्च को होशंगाबाद में निःशक्तजन सामूहिक विवाह सम्मेलन में 51 निःशक्त नवदंपतियों को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि आज आयोजित विवाह सम्मेलन में लाभान्वित दंपतियों को भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला प्रशासन द्वारा निःशक्तजन सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन निःशक्तजन के विवाह इस सम्मेलन में हो रहे हैं उनके रोजगार के लिए भी हर-संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निःशक्त दंपतियों को स्व-रोजगार योजनाओं के साथ-साथ शासकीय नौकरियों में 6 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा अपना अस्पताल के संचालक डॉ. राजेश शर्मा ने आज के सम्मेलन में विवाहित 5 निःशक्तजन को रोजगार देने की घोषणा की है। अन्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को भी इन निःशक्तजन को रोजगार देने की पहल करना चाहिए।

लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह ने कहा कि यह अनूठा निःशक्तजन विवाह समारोह देश का पहला हो सकता है। मध्यप्रदेश को इस बात पर गर्व है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार गरीबों एवं कन्याओं की मदद के लिए तत्पर है।

कार्यक्रम के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष श्री सीतासरन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आज निःशक्तजन का भव्य विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है। सांसद श्री उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बेटियों के संरक्षण के लिए उठाये गये इस अभिनव आयोजन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। उन्होंने कहा कि कन्यादान योजना की प्रसिद्धि प्रदेश में ही नहीं है बल्कि यह योजना पूरे देश में लोकप्रिय है।

कमिश्नर श्री वीरेन्द्र कुमार बाथम ने कहा कि संभाग स्तरीय निःशक्तजन विवाह सम्मेलन प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का प्रथम सम्मेलन है। इस सम्मेलन में 51

मिलेंगे पचास हजार रुपये

निःशक्त जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया है। सभी निःशक्त होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिले के हैं। इस विवाह समारोह में निकाह भी हो रहे हैं। एक विवाह अंतर्जातीय हो रहा है। निःशक्तजन विवाह सम्मेलन में समाजसेवियों तथा अटल बाल पालकों का भी सहयोग मिला है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दंपति को मिला 2 लाख का चेक - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निःशक्तजन विवाह सम्मेलन में शामिल एकमात्र अंतर्जातीय जोड़े को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। उन्होंने नव-दम्पति को सफल दांपत्य जीवन की शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया कन्यादान - सम्मेलन में पंडित सोमेश परसाई ने 50 कन्याओं का हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न करवाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी 50 कन्याओं के मामा के रूप में कन्यादान की रस्म पूरी की।

नव-दंपतियों को जो मदद मिली उसमें मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में निःशक्त वर-वधू को अलग-अलग 50-50 हजार रुपये, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर-वधू के नाम 10-10 हजार रुपये की फिक्स डिपाजिट रसीद, अंतर्जातीय विवाह वाले जोड़े को 2 लाख रुपये का चेक तथा निःशक्तता प्रमाण-पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये।

निसार और हिना बने हमसफर - निःशक्तजन मुस्लिम जोड़े का निकाह भी मुख्यमंत्री निकाह योजना में संपन्न हुआ। शहर काजी अशफाक अली ने मुस्लिम रीति-रिवाज से वर निसार खान एवं वधू हिना खान का निकाह करवाया।

संजोग और युवा उद्यमी पत्रिका का विमोचन - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में निःशक्तजन के विवाह समारोह के लिए तैयार स्मारिका 'संजोग' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने 'युवा उद्यमी' पत्रिका का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर विधायक श्री विजयपाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष होशंगाबाद श्री अखिलेश खंडेलवाल, पूर्व विधायक श्री मधुकर हर्णे, गौ-पालन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री शिव चौबे, इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुधा अग्रवाल, कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे सहित क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित थे।

नवदंपतियों को दानदाताओं ने दिये उपहार

होशंगाबाद में आयोजित निःशक्तजन सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव दंपतियों को जिला प्रशासन व समाजसेवियों द्वारा ढेरों उपहार प्रदान किये गये। उपहारों में एक-एक टीव्ही सेट, वर-वधू दोनों को कलाई घड़ी, टेबल फेन, शाल, साड़ी, सिंगारपेटी व श्रृंगार का पूरा सामान, प्रेशर कुकर, कड़ाही, दीवाल घड़ी, टिफिन, स्टील की टंकी, विस्तर, डिनर सेट, कम्बल डबल बेड का, इलेक्ट्रिक प्रेस, टी सेट, रोटी रखने का डिब्बा, कुर्ता, पायजामा, चांदी का एक-एक सिक्का, व्हीआईपी अल्फा कंपनी का ट्राली बैग शामिल है। जिला प्रशासन की अपील पर जिले के विभिन्न समाजसेवी संगठनों व दानदाताओं ने नवदंपतियों को ढेरों उपहार दिए। इनमें जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने मिलकर सभी जोड़ों को हाथघड़ी, आदर्श महिला क्लब द्वारा सभी जोड़ों को एक-एक साड़ी, सिंधी समाज द्वारा सभी जोड़ों को एक-एक शाल, पंचायत सचिव संगठन द्वारा प्रेशर कुकर, क्रियेटिव संघ द्वारा सिलाई मशीन, श्री राकेश फौजदार द्वारा जोड़ों को 1100-1100 रुपए, कड़ा माणिकपुरी ब्राह्मण समाज द्वारा सभी जोड़ों को 5-5 बर्तन, बैंकर्स संघ द्वारा मिक्सर, ओम सुशीला फाउण्डेशन द्वारा सभी जोड़ों को कम्बल, स्पिक मेके संस्था द्वारा दीवार घड़ी व मिठाई का एक-एक डिब्बा, सुरेश वडगुर्जर द्वारा अलमारी, न्यू शिवम सामाजिक संस्था द्वारा स्टील की गंजी, अंजुमन कमेटी द्वारा थर्मस, मदनी शिक्षा व महिला कल्याण कमेटी द्वारा सभी जोड़ों को टिफन प्रदान किये गये। व्यापारी संघ द्वारा विकलांग नव विवाहित जोड़ों को डिनर सेट, अग्रवाल महिला मंडल व लायंस क्लब द्वारा मिल्टन पानी की वॉटल, जिला प्रशासन द्वारा जोड़ों को 1-1 टीव्ही, श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा तकिये व चादर, विवाह के दौरान हल्दी रस्म की जिम्मेदारी डॉ. श्रुति मालवी ने ली और मेंहदी व महिला संगीत कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी आदर्श महिला क्लब ने ली।

नवविवाहित नि:शक्तजन को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा

माह मार्च में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में आयोजित संभाग स्तरीय नि:शक्तजन सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 51 जोड़ों का विवाह जिला प्रशासन ने करवाया था। इन नवविवाहित नि:शक्त जोड़ों को जिला पंचायत के सभाकक्ष में बुलाकर उन्हें रोजगार से लगाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की जिस पर नर्मदा अपना अस्पताल द्वारा 10 नि:शक्तजन को, मालवी हास्पिटल द्वारा 2 नि:शक्तजन, श्री राकेश फौजदार द्वारा 5 तथा राजेन्द्र खंडेलवाल द्वारा 1 नि:शक्तजन को रोजगार से लगाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर कमिश्नर श्री व्ही.के. बाथम ने अन्य उपस्थित समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वे भी नि:शक्तजन को सशक्त बनाने में मदद करें। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री एच.एस. मीना, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी तथा उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती सुचिता तिर्की सहित विभिन्न अधिकारी व नवविवाहित नि:शक्त जोड़े उपस्थित थे।

कमिश्नर श्री बाथम ने कुछ नव वधुओं से चर्चा कर उनके परिवार व वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी ली। सिवनी मालवा के ग्राम सोमलवाड़ा निवासी श्रीमती सीमा तिवारी ने बताया कि उनकी सास व पति बहुत अच्छी तरह रखते हैं कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह सोहागपुर निवासी हेमलता नागवंशी ने भी बताया कि विवाह के बाद से वह बहुत खुश है। घर में कोई समस्या व परेशानी नहीं है।

कलेक्टर श्री भोंडवे ने इस अवसर पर कहा कि सभी नि:शक्त नव दंपतियों के घरों में नि:शुल्क शौचालय बनवाए जा रहे हैं। सभी

को जनधन योजना के तहत खाता खोले जा रहे हैं। सभी नि:शक्त दंपतियों की समग्र आईडी तैयार कराकर उन्हें सरकार द्वारा नि:शक्तजन के लिए संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन की प्राथमिकता प्राप्त परिवारों की श्रेणियों में नि:शक्तजन भी शामिल हैं। अतः उन्हें एक रुपए किलो की दर पर नमक, गेहूं व चावल हर माह उपलब्ध कराए जायेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अग्रवाल ने बताया कि उद्योग विभाग व अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के तहत इन नि:शक्तजन को स्वरोजगार के लिए ऋण भी दिलाया जाएगा।

सात फेरे लेकर एक दूजे के

परिजनों की खुशी से नम आंखें और मन से निकल रही थी दुआएं। उस आयोजन के लिए जिसमें उनके निःशक्त बच्चों को नई जिंदगी मिली। वे परिणयसूत्र में बंधे और एक नए जीवन की शुरुआत की। अवसर था प्रशासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का। कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी के निर्देशानुसार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्वी सुन्द्रियाल के कुशल मार्गदर्शन में जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सीईओ श्री सुरेश झारिया द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत निःशक्तजन के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में यूं तो पहले भी सामूहिक विवाह समारोह हुए हैं लेकिन यह पहला आयोजन है जिसमें निःशक्त युवक-युवतियों का एक साथ समारोह आयोजित कर विवाह कराया गया। 29 मार्च को आयोजित इस समारोह में 29 निःशक्तजन ने सात फेरे लेकर एक दूजे के साथ दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। जिला प्रशासन के अलावा इस आयोजन में स्वयंसेवी संगठनों और व्यापारियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपना सहयोग प्रदान किया। इस गरिमामय समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, नगर निगम छिंदवाड़ा की महापौर श्रीमती कांता योगेश सदारंग, कलेक्टर श्री महेशचंद्र चौधरी, सीईओ जिला पंचायत तन्वी सुन्द्रियाल, जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहखेड़ श्रीमती कीर्ती गावंडे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री नमः शिवाय अरजरिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम के आयोजक श्री सुरेश झारिया, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारी उपस्थित हुए।

गाजे-बाजे के साथ निकली बारात

निःशक्त वरों की बारात गाजे-बाजे के साथ निकली। बारात पोलाग्राउंड से निकली और पटेल मंगल भवन पहुंची जहां विवाह स्थल बनाया गया था। रास्ते में परिजन झूमकर नाचे और खुशी मनायी। जगह-जगह आतिशबाजी भी गई। बारात का दृश्य ऐसा था मानो एक ही परिवार की बारात निकली हो और सभी परिजन एक साथ जश्न मना रहे हो। इतना ही नहीं प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी भी बारात में न केवल शामिल हुए बल्कि उनके साथ नाचे भी।

गायत्री मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न हुआ विवाह : सभी 29 जोड़ों का गायत्री मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से विवाह सम्पन्न कराया गया। वर और वधू ने सात वचन लिए और और सात फेरे भी लगाए। वरों ने अपनी वधुओं को मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरकर साथ सुखमय जीवन गुजारने का संकल्प लिया। पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह कराया गया।

कन्यादान योजना में मिली प्रोत्साहन एवं सहायता राशि : समारोह में शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 7 हजार रुपए की सहायता राशि, पाँच वर्ष की सावधि के लिये 10 हजार रुपए की राशि तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत निःशक्तजन प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा 5000 रुपए की राशि का सामान जिसमें सोने का मंगलसूत्र, बिछिया, पायल तथा अन्य सामग्री वधू को उपहार स्वरूप दी गई।

स्वयंसेवी संगठन एवं व्यापारी भी आए निःशक्तों की मदद के लिए सामने : इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों और व्यापारियों ने भी अपना सहयोग तथा आशीर्वाद निःशक्तजन को दिया। इनमें पंचायत सचिव संघ, एमपी सेल्स छिंदवाड़ा, गुप्ता ट्रेडर्स, ब्रम्ह समाज महिला मंडल, कोहिनूर वाच सेंटर, कल्चुरी महिला मंडल, श्री शिशिरसिंह बिसेन एवं श्री सेवकराम यादव, श्रीमती शोभा मिश्रा भारत भारती स्कूल, श्रीमती मिथिलेश शुक्ला, श्रीमती अनिता तिवारी एलाइन्स ग्रुप, श्रीमती अनिता तिवारी मैत्री महिला मंडल, संकल्प वेलफेयर सोसायटी, संस्कृति महिला मंडल, अभिनव सूर्यवंशी, आधार फाउण्डेशन, गुजराती महिला मंडल, तहसीलदार छिंदवाड़ा आदि शामिल हैं।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने दिया आशीर्वाद : निःशक्तजन के इस विवाह समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपति को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर ने कहा कि प्रशासन और महिला संगठनों की भागीदारी से यह सफल आयोजन हुआ है। उन्होंने विश्वास रूपी डोर के साथ जीवन बढ़ने का आशीर्वाद दिया। नगर निगम

के हुए उन्तीस नि:शक्त जोड़े

महापौर श्रीमती कांता सदारंग ने कहा कि नवदंपति खुशहाल जीवन जिएं यही मनोकामना है। कलेक्टर श्री चौधरी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि यह एक अनुकरणीय कार्य है इसके लिए अधिनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों और खासकर संगठन बधाई के पात्र हैं। भावी जीवन में नवदंपति आगे बढ़े, उनका परिवार यशस्वी हो। वे अपने विवाह का पंजीयन अवश्य कराएं। प्रशासन सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर है। श्री चौधरी ने कहा कि यह समारोह छिंदवाड़ा के लिए एक विशेष उपलब्धि है। कलेक्टर और उनकी पत्नी ने सभी जोड़ों को अपनी ओर से 501-501 रुपए की राशि उपहार स्वरूप भेंट की।

किसी ने बैसाखी तो किसी ने परिजनों के सहारे लिए फेरे : इस समारोह में ऐसे दृश्य सामने आए जिसमें लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और दिल से नि:शक्तजन के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो गए। किसी ने बैसाखी के सहारे तो किसी ने अपने परिजनों की गोद में रहकर सात फेरे लिए। खैरीभुताई निवासी बालकराम पैरों से विकलांग हैं उन्हें उसके बहनोई ने गोद में लेकर फेरे कराए। इधर बीसापुर निवासी संगीता को उसके जीजा श्री मनोज ने गोद में लेकर फेरे कराए। संगीता का विवाह उत्तरप्रदेश ललितपुर के चंदु के साथ हुआ। लहगडुआ निवासी सुनीश नागवंशी ने बैशाखी और खुटामा के श्री धनवंतरी ने छड़ी के सहारे सात फेरे लिए।

भोजन-पानी की रही उत्तम व्यवस्था: समारोह में नि:शक्त वर-वधू और उनके परिजनों के लिए भोजन और पानी की उत्तम व्यवस्था की गई थी। बाहर प्रांगण में सभी ने भोजन ग्रहण किया। सभी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संपादित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ऐसे किया मानों उनका अपना समारोह है। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी कर्मचारियों की भी प्रशंसा की।

मनोज बारसकर

टीकाकरण में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय औसत से आगे

सभी सरपंच और महापौर टीकाकरण में भाग लें

बच्चों का टीकाकरण कर उनका जीवन बचाने के मिशन इंद्रधनुष की प्रदेशव्यापी शुरुआत 7 अप्रैल को विदिशा जिले से हो गई है। मिशन इंद्रधनुष एक-एक सप्ताह के चार चरण में संचालित किया जायेगा। इसके अंतर्गत दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिये टीके लगाये जायेंगे। दूसरा चरण 7 मई, तीसरा चरण 7 जून और चौथा चरण 7 जुलाई को होगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मिशन इंद्रधनुष की रणनीति की समीक्षा करते हुए सभी जिलों में टीकाकरण से जुड़े विभागीय अमले को प्रशिक्षण देने और टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों और माताओं के जीवन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के माध्यम से हर बच्चे का जीवन सुरक्षित करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने सभी सरपंचों और महापौरों से आग्रह किया है कि वे मिशन इंद्रधनुष में पूरी सक्रियता से भाग लें और सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को सभी 7 टीके अनिवार्य रूप से लग जायें। उन्होंने कहा कि इस अभियान से हर नागरिक और माता-पिता का जुड़ना ही इसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे और अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। अभिभावकों के सक्रिय सहयोग से टीकाकरण में मध्यप्रदेश देश में सबसे अग्रणी राज्य बनेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में टीकाकरण का प्रतिशत 66.4 है जो राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत से ज्यादा है। इस अभियान से 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाई गई है।

बैठक में बताया गया कि राज्य स्तरीय टीकाकरण की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हर जिले में घर-घर जाकर सर्वे के माध्यम से दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि जागरूकता एवं सूचना के अभाव में 64 प्रतिशत बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। इसीलिये मिशन इंद्रधनुष में पहुँचविहीन क्षेत्रों में भी टीकाकरण के सत्र करने की रणनीति बनाई गई है। मिशन इंद्रधनुष के लिये भारत सरकार ने पूरे देश में 201 जिले चुने हैं जिनमें म.प्र. के उच्च प्राथमिकता वाले 15 जिले - अलीराजपुर, अनूपपुर, छतरपुर, दमोह, झाबुआ, मंडला, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, टीकमगढ़, शहडोल, उमरिया और विदिशा शामिल किये गये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक कदम आगे बढ़ते हुए शेष जिलों में भी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हो रही है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री ॲन्टोनी डिसा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर मध्यप्रदेश की पंचायतें हुईं पुरस्कृत

विदिशा और हरदा जिला पंचायत समेत सोलह पंचायतें पुरस्कृत

राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में गरिमापूर्ण समारोह में पंचायत सशक्तीकरण की दिशा में मध्यप्रदेश की विदिशा एवं हरदा जिला पंचायत समेत 16 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में केन्द्रीय पंचायत राज मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह और राज्यमंत्री श्री निहाल चन्द भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि पंचायत सदस्यों को गाँव के बारे में गौरवान्वित महसूस करना चाहिये। उन्होंने वित्तीय प्रावधानों की तुलना में विकास के प्रति दृढ़-निश्चय को महत्वपूर्ण करार देते हुए गाँव में बच्चों की शिक्षा, उनके टीकाकरण आदि पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने गाँव का जन्म-दिन मनाने जैसा सुझाव भी दिया। समारोह में मध्यप्रदेश की 2 जिला पंचायत हरदा एवं विदिशा को 30-30 लाख, विदिशा तथा इछावर जनपद पंचायत को 20-

20 लाख तथा 12 ग्राम पंचायतें हिनोतिया, थरेह, पामेद, हरदा खुर्द, गोमगाँव, गुर मेला, कुकरावार, बागवाड़ा, हिलगन, सोनपुर, गठहौली तथा खैरिया ग्राम पंचायत को 8-8 लाख की सम्मान-निधि से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव उपस्थित थे। पंचायत सशक्तीकरण की दिशा में पुरस्कृत ग्राम पंचायतों ने विकेन्द्रीकृत एवं सहभागितापूर्ण स्थानीय स्व-शासन के क्रियान्वयन एवं सामाजिक न्याय, प्रभावी सेवा सुपुर्दगी और समावेशी विकास तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कामयाबी हासिल की है। पिछले वित्त वर्ष के लिये पंचायत राज मंत्रालय ने स्वतंत्र एजेंसी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान से करवाये गये मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर श्रेष्ठ पंचायत राज संस्थाओं का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया है।

गाँवों के विकास की समन्वित योजना बनेगी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय पंचायत सचिव श्री विजय आनंद से 25 अप्रैल को मुलाकात के दौरान कहा कि प्रदेश में गाँवों के विकास की समन्वित योजना बनायी जायेगी। प्रदेश में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली 3200 ग्राम पंचायतों को आदर्श रूप से विकसित किया जायेगा। प्रदेश में गाँवों में विकास के लिये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और पंच परमेश्वर योजना के जरिये बेहतर काम हुआ है। गाँवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। गाँवों में नलों से जल प्रदाय की योजना बनायी गई है। सभी आँगनवाड़ी और ग्राम पंचायतों के भवन बनाये जा रहे हैं। केन्द्रीय सचिव श्री आनंद ने कहा कि गाँवों के समूह बनाकर विकास तथा आदर्श ग्राम विकसित करने की योजना बनायी जाये।

मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव श्री ऑन्टोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा और मुख्यमंत्री के सचिव श्री हरिरंजन राव उपस्थित थे।

पंचायतों की बैठक में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध

त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के मकसद से राज्य शासन द्वारा पंचायतों की कार्यवाहियों में सरपंच पति के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा इस बारे में निर्देश जारी किये गये हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह में पंचायत व्यवस्था से संरपच पति संस्कृति को समाप्त करने की जरूरत बताई। उन्होंने यह भी कहा कि सभी निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को काम करने के पूरे अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि वे पूरे आत्म-विश्वास के साथ गाँव के विकास में भागीदारी कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था में चुनी गईं महिला प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है अतः उनके सशक्तीकरण के प्रयासों को और बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में 25 अप्रैल को मंत्रालय में संपन्न बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी की इन्हीं भावनाओं के अनुरूप पंचायतों की बैठकों और कार्यवाहियों में सरपंच पति के अनावश्यक दखल को खत्म करने के बारे में फैसला लिया गया। पंचायतों की कार्यवाहियों में सरपंच पति तथा महिला प्रतिनिधियों के परिजनों के शामिल होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बारे में जिला प्रशासन तथा जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को समुचित दिशा-निर्देश भेजते हुए उनका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में केन्द्रीय पंचायत सचिव श्री विजय आनंद और अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा, आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री श्री भार्गव ने बैठक में निर्देश दिये कि ग्रामसभाओं और ग्राम पंचायतों की बैठकों की वीडियोग्राफी की जाये। इन बैठकों की कार्यवाही पर राज्य शासन द्वारा निगरानी रखी जायेगी। आयुक्त पंचायत राज तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच में यह पाया जाता है कि पंचायतों में आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन किसी पुरुष द्वारा किया गया है, तो समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए संबंधित महिला सरपंच को पद से हटाने की विधिवत कार्यवाही की जाये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने बताया कि अब महिला पंचों को अपने पंचायत क्षेत्र के गाँव के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, विद्यार्थियों की उपस्थिति और उन्हें शाला आने के लिये प्रेरित करने, समय-समय पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच और टीकाकरण स्कूलो में स्वच्छता तथा शौचालयों की साफ-सफाई और मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की देख-रेख जैसी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत राज व्यवस्था के संचालन संबंधी जानकारियां देने और कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने और पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 फीसदी पद आरक्षित किये गये हैं। ग्रामीण अंचलों के चौतरफा विकास में ये महिलाएँ महती भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत निर्वाचन में चुनी गईं महिला प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और पंचायतों के कामकाज को संचालित करने के बारे में मार्गदर्शन देने के लिये सरल और आसान भाषा में तैयार प्रशिक्षण और मार्गदर्शिका पुस्तिकाएँ भी प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में भेजी जा चुकी हैं।

देवेन्द्र जोशी

पंचायत और नगरीय निकाय प्रतिनिधियों का सम्मेलन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 अप्रैल को सलकनपुर में बुदनी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति में सदैव महिलाओं का समान तथा ऊँचा स्थान रहा है। महिला सशक्तीकरण भारतीय संस्कृति में ही निहित है। विकास के कार्यों में सभी सक्रिय सहभागिता निभाएँ तभी राज्य का चहुँमुखी विकास होगा। सभी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य पूरा करें। अपने क्षेत्र के सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना है। स्वच्छता ही समृद्धि और विकास की पहली शर्त है। उन्होंने सभी को हर घर में शौचालय निर्माण की शपथ दिलवाई।

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हर विषम परिस्थिति में सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए ऐसी पृथक फसल बीमा योजना बनायेंगे जो किसानों के हित में हो। राज्य सरकार किसान कल्याण कोष के गठन पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाये जाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधि सतर्क निगाहें रखें। श्रीमती स्वराज ने कार्यक्रम में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए उठाये गये कदमों की सराहना की।

पंचवर्षीय कार्य-योजना का विमोचनः सीहोर जिले के कलेक्टर डॉ. सुदाम खाड़े के प्रयास से हर ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय भूमि का पूरा रिकार्ड तथा अगले पाँच वर्ष में उसके उपयोग के लिए 'पंचवर्षीय कार्य-योजना' पुस्तिका का विमोचन किया गया। सीहोर जिले में कृषि पर्यटन की संभावनाओं के मद्देनजर तैयार 'कृषि पर्यटन पुस्तिका' का विमोचन भी अतिथियों ने किया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, मार्कफेड के अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा अन्य जन-प्रतिनिधि और नवनिर्वाचित पदाधिकारी उपस्थित थे।

पंचायतकर्मियों के कार्यों की सराहना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 8 अप्रैल को पंचायत समन्वय अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायतकर्मी सेवा और समर्पण के भाव के साथ काम कर रहे हैं।

इसका ध्यान रखते हुए सरकार ने भी उन्हें सम्मानजनक वेतन, अधिकार और पदनाम दिये हैं। श्री भार्गव ने कहा कि काम उसी को दिया जाता है, जो करने योग्य हो। पंचायतकर्मी सक्षम और योग्य हैं, उनके द्वारा सराहनीय सेवाएँ दी जा रही हैं।

पंचायत अधिनियम की विसंगति को दूर करने के लिये बनाई गई समिति में कर्मचारी संघ और संगठन के दो प्रतिनिधियों को भी रखा जायेगा, जो विसंगति एवं कठिनाइयों की बारीकियों से अवगत करवायेंगे।

श्री भार्गव ने संघ की मांग पर पंचायतकर्मी के गोपनीय प्रतिवेदन पर 15 दिन में सक्षम अधिकारी द्वारा अपना अभिमत देकर अग्रेषित करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के वेतनमान में एकरूपता लाने का भी प्रयास किया जायेगा।

कार्यक्रम में संघ के संरक्षक श्री सुधीर नायक, प्रांताध्यक्ष श्री आर.पी. शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। श्री भार्गव का शुरुआत में संघ एवं संगठन के पदाधिकारी द्वारा पुष्पहार और शाल-श्रीफल से स्वागत किया गया। उन्हें अभिनंदन-पत्र का वाचन कर भेंट किया गया। इस मौके पर एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया।

एक सौ तैंतीस लाख के निर्माण कार्यों का लोकार्पण

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सागर जिले के ढाना में 133 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन सह प्रशिक्षण केन्द्र, पटनेश्वर धाम, रैन बसेरा तथा सीमेंट कांक्रीट रोड का लोकार्पण किया।
- पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने ढाना में 80 लाख की लागत से स्टेडियम और 35 दुकानों का निर्माण कराने की घोषणा की।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सागर जिले के ढाना में 133 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन सह प्रशिक्षण केन्द्र, पटनेश्वर धाम, रैन बसेरा तथा सीमेंट कांक्रीट रोड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ढाना में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिये 80 लाख के स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की साथ ही युवा बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिये 50 लाख की राशि से 35 दुकानों का निर्माण करवाने की भी घोषणा की।

ढाना में सामुदायिक भवन 58 लाख, रैन बसेरा पटनेश्वर धाम में 33 लाख तथा ढाना में सी.सी. रोड 40 लाख की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य कराये गये। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने ढाना के लिये विकास क्षेत्र की कई सौगातें दीं। समारोह में पंचायत मंत्री ने किये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि अब विकास के क्षेत्र में ढाना पीछे नहीं रहेगा। कार्यक्रम में श्री मुकेश जैन ढाना ने भी अपने विचार रखे।

इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री बावू सिंह, जनपद अध्यक्ष रहली श्री संजय दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष गढ़ाकोटा श्री भरत चौरसिया (पंडा), दीपक पौराणिक, राजू हजारी, आर.ई.एस. के ई एवं शासकीय विभागों के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन मौजूद थे।

आर.पी. राय

आधार नंबर मतदाता परिचय पत्र से लिंक करने के निर्देश

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विशेष अभियान चलाकर जिले के सभी मतदाताओं के मतदाता परिचय पत्र आधार नंबर से लिंक करें, जिससे मतदाता सूची को त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाया जा सके। जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के वयस्क सदस्यों के मतदाता परिचय पत्र को आधार नंबर से लिंक करें।

संभागीय समीक्षा बैठक

विकास योजनाओं के बेहतर अमल का ताना बाना

विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बेहतर अमल के लिये मैदानी स्तर पर हुए कार्यों की हकीकत जानने और विभागीय काम-काज में कसावट लाने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा द्वारा संभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के काम-काज के नतीजों को परखा गया। उल्लेखनीय काम करने वालों की सराहना की गयी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के अमल में ढिलाई बरतने वालों को जरूरी नसीहतें दी गयीं। प्रस्तुत है जबलपुर, शहडोल, रीवा, ग्वालियर संभाग की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट।

जबलपुर संभाग

योजनाओं के क्रियान्वयन से गाँव की तस्वीर बदलेगी

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने 8 अप्रैल को जबलपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मैदानी स्तर पर विभिन्न योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामों में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो जिससे गांवों की तस्वीर बदले। ग्रामीणजनों को योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों का लाभ मिले।

मनरेगा की समीक्षा

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्य जून माह तक पूर्ण किए जाएं। उन्होंने मनरेगा के अन्तर्गत लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम किस्त के रूप में 1347 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिसे जिलों को शीघ्र ही जारी किया जाएगा। राशि से जिलों में योजनान्तर्गत लंबित भुगतान हो सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजनान्तर्गत ऐसे कार्य जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से कोई भी व्यय नहीं किया गया हो, उन कार्यों को यथास्थिति में पूर्ण किया जाये। जबलपुर संभाग में ऐसे कार्यों की संख्या लगभग 30 हजार है, जिन्हें जून माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किये जायें।

आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष से एक पंचायत का एक खाता होगा। पंचायतों द्वारा सभी भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएंगे। संभागायुक्त श्री दीपक खाण्डेकर ने बैठक में कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं में स्वीकृत प्रकरणों का वितरण समय पर हो। अपर मुख्य सचिव ने बैंक अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हों ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिले।

पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर सभी कार्यों की प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री एवं एरिया प्रोफाइलर के सम्बन्ध में चर्चा की। बैठक में पंच-परमेश्वर योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट बाजार योजना, स्व-कराधान योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजनाएं, परफॉर्मेंस ग्राण्ट योजना की भौतिक व वित्तीय समीक्षा की गयी तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रारंभ किए जाने के सम्बन्ध में सभी जिलों से जानकारी प्राप्त की गई।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि शौचालयों का निर्माण नल-जल योजना वाली पंचायतों में प्राथमिकता से किया जाए। इसी प्रकार नर्मदा तट वाले ग्रामों में शौचालय बनाए जाएं। जिन हितग्राहियों के यहां शौचालय बनाए गए हैं वे शौचालयों का उपयोग भी करें। जिससे खुले में शौच जाने की आदत बदले और खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में कार्य हो। बैठक में संभाग के लिए वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक और तिमाही लक्ष्य निर्धारित किए गए।

संभाग के लिए साढ़े तीन लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रत्येक जिले में कलेक्टर द्वारा प्रतिमाह तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पाक्षिक समीक्षा की जाए। व्यक्तिगत शौचालयों के हितग्राहियों की सूची में समग्र नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि स्वच्छता मिशन में एफटीओ के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

वाटरशेड की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि वर्ष 2009-10 की

परियोजनाओं का यह अंतिम वर्ष है अतः शत-प्रतिशत वाटरशेड कार्य जून 2015 तक पूर्ण किए जाएं।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए प्रत्येक विकासखण्ड में प्रत्येक तीन माह में रोजगार मेले आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में समूह गठन, पुनर्गठन, क्रेडिटमोबलाइजेशन, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण-युवा स्वरोजगार योजना, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के रोजगार की समीक्षा की गई। एनआरएलएम योजना के तहत क्लस्टर स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। प्रत्येक जिले में एक विकासखण्ड में सघन रूप से कार्य करने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना में आरसेटी से प्रशिक्षित युवाओं को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने जबलपुर कलेक्टोरेट में आयोजित संभागीय बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान संभाग के जिलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में कुकिंग गैस का उपयोग करने पर उसका व्यय राज्य स्तर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन के किचिन शेड में धुआं निकासी के पर्याप्त प्रबंध हों।

उन्होंने कहा कि विदिशा जिले में बच्चों को मध्यान्ह भोजन में दूध का वितरण भी किया जा रहा है। अन्य जिलों में भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है और फ्लेवरयुक्त दूध मध्यान्ह भोजन में दिया जा सकता है। स्कूलों में डायनिंग हाल, हैण्डवाश के प्लेटफार्म बनाए जा सकते हैं। मध्यान्ह भोजन करने वाले बच्चों की माताएं एवं शिक्षक मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि महिला सरपंच-पंच हर माह स्कूल का भ्रमण कर मध्यान्ह भोजन, साफ-सफाई, हाथ धुलाई आदि के सम्बन्ध में निरीक्षण करें।

उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन आवास सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। हितग्राहियों को

समग्र से लिंक करते हुए उनके खातों में राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में जबलपुर संभाग की उपलब्धि 98 प्रतिशत रही। जिसकी अपर मुख्य सचिव द्वारा सराहना की गई। जिसमें जबलपुर जिला 103 प्रतिशत, कटनी जिला 101 प्रतिशत, नरसिंहपुर छिंदवाड़ा और बालाघाट उक्त तीनों जिले में 100 प्रतिशत, मण्डला 91 प्रतिशत और सिवनी जिले में 90 प्रतिशत उपलब्धि रही।

समीक्षा बैठक में छिंदवाड़ा जिला पंचायत की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से बने जरूरतमंदों के आशियानों पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। जबलपुर संभाग के अधिकांश जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

सड़कों की गुणवत्ता भी अच्छी है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता के मामले में देश में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई और अपूर्ण सड़कों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जानकारी दी गई कि खेल परिसर योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में एक करोड़ 60 लाख की लागत से खेल परिसर का निर्माण किया जाना है। इसमें 80 लाख रुपए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से और शेष 80 लाख रुपए खेल विभाग की ओर से दिए जाएंगे। खेल परिसर पांच से सात एकड़ में बनाए जाएगा। बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की समीक्षा की गई। अपूर्ण कार्यों में तेजी लाने और समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव टी.आर. मीणा ने मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति के बारे में बने नए कानून और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि कानून के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि सफाई कामगारों की पहचान, उनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था की जाए। कौशल उन्नयन के लिए 3 माह के प्रशिक्षण के दौरान 3 हजार रुपए प्रतिमाह स्टायफण्ड दिया जाए।

बैठक में जबलपुर संभागायुक्त श्री दीपक खाण्डेकर, सचिव श्री संजीव झा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आईआरडीए श्रीमती अलका उपाध्याय, आयुक्त मनरेगा श्रीमती सीमा शर्मा, आयुक्त पंचायतराज श्री रघुवीर श्रीवास्तव, अपर सचिव श्री ब्रजेश कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एल.एम. बेलवाल, संचालक रोजगार श्री विभाष कुमार ठाकुर, राज्य कार्यक्रम अधिकारी जल एवं स्वच्छता मिशन श्रीमती हेमवती बर्मन, ईएनसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री प्रभाकांत कटारे, ईएनसी आरआरडीए श्री एम.के. गुप्ता, संभाग के सभी आठ जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधक उपस्थित थे।

शहडोल संभाग

गरीबों की दशा और दिशा बदलने का प्रयास

ग्रामीण क्षेत्रों की दशा एवं दिशा बदलने के लिए मैदानी कर्मचारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी अंचल का भ्रमण कर योजनाओं का लाभ हितगाहियों को त्वरित मिले यह सुनिश्चित करें। संभाग का कोई गांव पक्की सड़क से वंचित नहीं रहे, पंचायत, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन, स्कूल भवन, रसोईघर, चमचमाता हुआ दिखे इस दिशा में ठोस पहल करें । ग्राम विकास और कमजोर वर्ग के लोगों के समग्र विकास के लिए शासन के पास धन की कमी नहीं है जरूरत है इसके बेहतर क्रियान्वयन की। ये निर्देश अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने बांधवगढ़ में 9 अप्रैल को आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक में दिये।

बैठक में संभागायुक्त श्री डीपी अहिरवार, सचिव श्री संजीव कुमार झा, श्रीमती अलका उपाध्याय सीईओ आईआरडीए, श्रीमती सीमा शर्मा आयुक्त मनरेगा, श्री रघुवीर श्रीवास्तव आयुक्त पंचायत राज, श्री बृजेश कुमार अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रीमती हेमवती वर्मन राज्य समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, श्री विभाष ठाकुर संचालक ग्रामीण रोजगार एवं राज्य समन्वयक मध्यान्ह भोजन, श्री एलएम वेलवाल सीईओ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्री प्रभाकान्त कटारे

प्रमुख बिन्दु

- मुख्यमंत्री आवास मिशन में हुए अच्छे कार्य के लिए शहडोल संभाग के कमिश्नर श्री डीपी अहिरवार को अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने दी बधाई।
- हर दस पंचायतों की निगरानी के लिये पीसीओ, उपयंत्री तथा लेखा संबंधी कर्मचारी होंगे।
- संविदा कर्मी काम नही करें तो बर्खास्त होंगे।
- स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास भवन के किचनशेड घर की तरह हों।
- 14 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री आवास एवं इंदिरा आवास के हितग्राहियों का चयन होगा।
- सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी सुलभ होगी।
- पंचायत दर्पण पोर्टल पर सभी कार्य इंद्राज होंगे।
- पंचायत स्तर पर गवर्मेंट डायरेक्ट्री बनेगी।
- पंचायतों के विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी।
- महिला पंच, सरपंच स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की समय समय पर निगरानी करेंगी।
- निर्विरोध सरपंच को एक लाख, पूरे पंच सरपंच निर्विरोध होने पर पांच लाख, जिन ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच सभी महिला चुनी गई हों उस पंचायत को दस लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा।
- नल जल योजनाओं के विद्युत देयक को ग्राम पंचायत भरेगी, नल पाइप खराब होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय दुरुस्त कराएगी।
- प्रदेश में संभाग की सबसे बड़ी पंचायत बकहों (शहडोल) है जहां की आबादी 46 हजार है। यहां हर वार्ड की गलियों में सीसी रोड बनाई जाएगी।

ई.एन.सी. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, श्री एमके गुप्ता, श्री एके चौधरी मुख्य अभियंता, कलेक्टर शहडोल श्री अशोक भार्गव, कलेक्टर अनूपपुर श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कलेक्टर उमरिया श्री केजी तिवारी, सीईओ अनूपपुर बीएस चौधरी, सीईओ उमरिया श्रीमती अनुग्रह पी, सीईओ शहडोल, सहित संबंधित विभाग के संभाग एवं जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास मिशन में अच्छा कार्य करने के लिए कमिश्नर श्री डीपी अहिरवार को बधाई देते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आवास मिशन में बैंकर्स को अभी से लक्ष्य दें ताकि समय पर लक्ष्य पूरा किया जा सके। हर गरीब का पक्का मकान एवं शौचालय हो, बेरोजगारों को स्वरोजगार मिले, कृषि के अलावा अन्य कुटीर उद्योग से कृषकों को जोड़ने, की मुहिम चलायें जिससे गरीबों के चेहरे में मुस्कान आये और वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकें।

श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लापरवाही या शिथिलता किसी भी स्तर में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो जिससे गरीबों की तकदीर एवं गांव की तस्वीर बदले।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, जल ग्रहण मिशन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, आवास योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष से एक पंचायत का एक खाता होगा। पंचायतों द्वारा सभी भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएंगे। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि वे बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से उपलब्ध कराए ताकि ग्रामीणों को अधिकाधिक सुविधा मिल सके। पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर सभी कार्यों की प्रवृष्टि कराने, लोकल गवर्मेंट डायरेक्ट्री एवं एरिया प्रोफाइल के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पंच परमेश्वर योजना, ग्रामीण हाट बाजार योजना, स्वकराधान योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान पोस्ट योजना, परफार्मेस ग्रांट योजना की भौतिक व वित्तीय समीक्षा की और अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शहडोल जिले के केलमनिया ग्राम का चयन किया गया है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि संभाग का मॉडल ग्राम बनाएं इसे देखने के लिए भारत के सांसदों का दल आयेगा।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नल जल वाली ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालय बनवायें और यह सुनिश्चित करें कि उनमें पानी की निरंतता बनी रहे। इन शौचालयों का उपयोग हो इसके लिए नागरिकों को प्रेरित करें।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए प्रत्येक विकासखण्ड में हर तीन माह में रोजगार मेले आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में समूह गठन, पुनर्गठन, क्रेडिट मोबलाइजेशन, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण युवा स्वरोजगार योजना, ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की समीक्षा की गई। प्रत्येक जिले में एक विकासखण्ड में सघन रूप से कार्य करने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना में आरसेटी से प्रशिक्षित युवाओं को लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ही बैंक खाता संचालित किया जाए

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल ने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर शासन निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को केवल एक ही बैंक खाता संचालित किए जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पूर्व से पंच परमेश्वर योजना के नाम से खोले गए खातों के अलावा शेष समस्त बैंक खातों को बन्द किया जाना चाहिए। पूर्व में पत्रों के माध्यम से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संबंध में काफी समय से अवगत कराया जाता रहा है। जनपद क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना के अतिरिक्त संचालित समस्त बैंक खातों को बन्द कर जानकारी प्रस्तुत की जाये, किन्तु जनपदों से ग्राम पंचायतों के खाते बन्द कराने संबंधी जानकारी नहीं भिजवाई गई है। सभी जनपदों को अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के बैंक खाते पंच परमेश्वर योजना को छोड़कर शेष सभी खाते बन्द करवाकर जानकारी भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

रीवा संभाग

गाँव का भ्रमण कर मॉनीटरिंग करें - श्रीमती अरुणा शर्मा

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी सप्ताह के प्रथम दो दिवसों को छोड़कर शेष दिनों में ग्रामीण अंचलों का नियमित भ्रमण करें तथा मैदानी स्तर में योजनाओं के क्रियान्वयन को देखें इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष से एक पंचायत का एक खाता होगा तथा पंचायतों द्वारा सभी भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। अपर मुख्य सचिव ने बैंक अधिकारियों से कहा कि स्वीकृत हितग्राहीमूलक प्रकरणों का वितरण करायें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों द्वारा नियुक्त बिजनेस का करेस्पाण्डेंट नियुक्त स्थान पर ही रहें इस बात की मॉनीटरिंग जनपद के सीईओ भी करें। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिलेवार रूपरेखा की जानकारी कलेक्टरों से लेते हुये उन्होंने अपेक्षा की कि यह चयनित गांव वास्तव में हर तरह से आदर्श बनें।

अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा की अध्यक्षता में 10 अप्रैल को रीवा संभाग की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संभाग स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गयी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करें ताकि ग्रामीणजनों को विकास कार्यक्रमों व योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिला पंचायत व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी सप्ताह के प्रथम दो दिवसों को छोड़कर शेष दिनों में ग्रामीण अंचलों का नियमित भ्रमण करें तथा मैदानी स्तर में योजनाओं के क्रियान्वयन को देखें इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष से एक पंचायत का एक खाता होगा तथा पंचायतों द्वारा सभी भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। अपर मुख्य सचिव ने बैंक अधिकारियों से कहा कि स्वीकृत हितग्राहीमूलक प्रकरणों का वितरण करायें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों द्वारा नियुक्त बिजनेस का करेस्पाण्डेंट (बीसी) नियुक्त स्थान पर ही रहें इस बात की मॉनीटरिंग जनपद के सीईओ भी करें। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिलेवार रूपरेखा की जानकारी कलेक्टरों से लेते हुये उन्होंने अपेक्षा की कि यह चयनित गांव वास्तव में हर तरह से आदर्श बनें।

श्रीमती अरुणा शर्मा ने परफारमेंस ग्रांट से स्वीकृत पंचायत भवनों का निर्माण कार्य

अगस्त 2015 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिये। बैठक में आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर निर्माण कार्यों की प्रविष्टि कराने तथा खेल मैदान के लिए परफार्मेंस ग्राण्ट से राशि आवंटित करने की जानकारी दी। विभागीय जांच व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में तत्परता बरतने के लिये अपर मुख्य सचिव ने संभागायुक्त एवं जिलों के कलेक्टर्स की प्रशंसा भी की। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान व्यक्तिगत शौचालय सहित सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराते हुए उनके उपयोग तथा गांव में साफ-सफाई के लिये लोगों को जागरूक किये जाने पर बल दिया गया।

बैठक में वाटरशेड मिशन के तहत रीवा जिले में हुए कार्यों की प्रशंसा अपर मुख्य सचिव ने की। इस अवसर पर म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान समूहों को स्वरोजगार के संसाधन मुहैया कराने पर जोर दिया गया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने इंदिरा आवास योजना की समीक्षा करते हुए जनपद के सीईओ को निर्देशित किया कि गांव के कच्चे मकानों की सूची बनाकर उनमें से बी.पी.एल. परिवारों को प्राथमिकता से सूचीबद्ध करायें। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने बैंकों का एन.पी.ए. कम कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही के लिये कलेक्टरों से कहा।

मध्यान्ह भोजन की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से स्कूलों की जांच कर मध्यान्ह भोजन वितरण की स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्कूल आवंटित कर सतत मॉनीटरिंग करायें। उन्होंने कहा कि किचन शेड गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ और अच्छी तरह से पुते हुए हों, इस बात का ध्यान रखें। अरुणा शर्मा ने कहा कि महिला पंचों को इस बात के लिये प्रेरित करें कि वे माह में कम से कम दो बार स्कूलों में जाकर इस बात को देखें कि वहाँ मध्यान्ह भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण जैसी शासन की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने आर.ई.एस. के अधिकारियों से कहा कि संभाग की प्रगतिरत 39 सड़कों का कार्य जून तक पूरा कराना सुनिश्चित करें। जहाँ ठेकेदारों के कारण समस्या है उन सड़कों के शेष रहे कार्यों को विभागीय तौर पर पूरा करायें।

बैठक के दौरान मनरेगा के अपूर्ण कार्यों की जिलेवार, एजेंसीवार समीक्षा की गई। अपूर्ण सामुदायिक और हितग्राहीमूलक कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और इन्हें गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में कलस्टर मुख्यालयों पर शासकीय कर्मचारियों के लिये आवास बनाने के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर लम्बित अप्राप्त आश्वासनों पर भी चर्चा की गई। आयुक्त रीवा संभाग एस.के. पॉल ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं में स्वीकृत प्रकरणों का वितरण समय पर हो तथा संभाग में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का संचालन व लक्ष्य पूर्ति में तत्परता बरती जाये। उन्होंने कहा कि विगत तीन वर्षों में संभाग में अधोसंरचना विकास के अनेक कार्य हुए हैं। अतः सबका समग्र रूप से लाभ यहाँ के लोगों को मिले इसके समन्वित प्रयास किये जाने चाहिए ताकि रीवा संभाग प्रदेश में अग्रणी संभाग की श्रेणी में शामिल हो। कमिश्नर ने अपर मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों द्वारा संभाग के विकास के लिये दिये गये मार्गदर्शन के लिये आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि रीवा संभाग में विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जायेगी और शासन से प्राप्त लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा किया जायेगा।

इस दौरान रीवा कमिश्नर श्री एस.के. पॉल, आयुक्त मनरेगा सीमा शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अलका उपाध्याय, सचिव संजीव झा, आयुक्त पंचायत राज रघुवीर श्रीवास्तव, अपर सचिव ब्रजेश कुमार, संचालक रोजगार विकास कुमार ठाकुर, राज्य कार्यक्रम अधिकारी जल एवं स्वच्छता मिशन हेमवती बर्मन, कलेक्टर रीवा राहुल जैन, सतना संतोष मिश्रा, सिंगरौली एम. रघुराजन, ई.एन.सी. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा प्रभाकांत कटारे, ई.एन.सी.आर. आर.डी.ए.एम. के गुप्ता, संभागान्तर्गत जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपदों के सीईओ, बैंकों के एलडीएम तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

आजीविका कौशल उन्नयन कॉल सेंटर के ब्रोशर का विमोचन

अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा ने जिले में डीपीआईपी के माध्यम से संचालित आजीविका कौशल उन्नयन कॉल सेंटर के ब्रोशर का विमोचन किया। डीपीएम डी पी सिंह ने जानकारी दी कि इस सेंटर के माध्यम से स्थानीयजनों को विभिन्न सेवाएँ जैसे नल सुधार, बिजली सुधार, डम्फर आदि के सुधारक मुहैया कराये जाते हैं ।

ग्वालियर संभाग

पंचायतों में अब ई-पेमेंट से होंगे भुगतान

हर ग्राम पंचायत का अब एक खाता होगा। इसी खाते में सभी योजनाओं की राशि पहुँचेगी। साथ ही भुगतान भी ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट बैंकिंग के जरिए होंगे। वित्तीय अनुशासन तथा भुगतान में पारदर्शिता लाने के मकसद से लागू की गई इस व्यवस्था को गंभीरता से अंजाम दिलायें। यह निर्देश अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने 16 अप्रैल 2015 को संभाग के सभी कलेक्टरों तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। वे ग्वालियर-चंबल संभाग में संचालित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। इस मौके पर संभाग आयुक्त श्री के.के. खरे भी मौजूद थे।

संभागीय बैठक में आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवरी श्रीवास्तव ने बताया कि भुगतान की समस्त कार्रवाई पंचायत दर्पण पोर्टल के जरिए दी जानी है। ग्राम पंचायत के समस्त विकास कार्यों के खर्च की मंजूरी सरपंच देंगे और भुगतान ई-पेमेंट के जरिए होगा। ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया संपादित करने की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सचिव निभायेंगे। पंचायत दर्पण पोर्टल पर सभी प्रकार के कार्य संबंधी एवं व्यय संबंधी लेखा-जोखा अपलोड किए गये हैं।

अपर मुख्य सचिव ने ग्रामीण पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि ग्रामीण नल-जल योजनाओं का मकसद तभी पूरा होगा जब हर घर में नल कनेक्शन हो। उन्होंने नल-जल योजना वाली ग्राम पंचायतों में अभियान बतौर शौचालय बनवाने पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव ने पंच-परमेश्वर योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना व मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना की समीक्षा भी की। साथ ही पंचायत भवन निर्माण, ई-पंचायत कक्ष निर्माण, निर्विरोध पंचायत पुरस्कार योजना, ग्राम पंचायतों के नगरीय क्षेत्र में संविलियन पर चर्चा की। इनके अलावा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) स्वच्छ भारत मिशन, एकीकृत जलग्रहण मिशन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री संजीव कुमार झा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरआरडीए श्रीमती अलका उपाध्याय, आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयुक्त मनरेगा श्रीमती सीमा शर्मा, अपर सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री बृजेश कुमार, मध्यान्ह भोजन ग्रामीण रोजगार जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन आदि के संचालकगण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता, कलेक्टर ग्वालियर श्री पी. नरहरि, शिवपुरी श्री राजीव दुबे, गुना श्री

श्रीमन शुक्ल, अशोकनगर श्री राजा भैया प्रजापति, दतिया श्री प्रकाश जांगरे, भिण्ड श्री मधुकर आग्नेय, मुरैना श्रीमती शिल्पा गुप्ता व श्योपुर श्री धनंजय सिंह भदौरिया तथा ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों की जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्रियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

दफ्तर में नहीं मैदान में दिखें जनपद सीईओ : अपर मुख्य सचिव ने जनपद पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ताकीद किया कि वे दफ्तर में न बैठकर अपने क्षेत्र के गाँवों का नियमित रूप से भ्रमण करें। जनपद पंचायत सीईओ की डायरी में हर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और उपलब्ध राशि का ब्यौरा लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा वे स्वयं औचक रूप से इस डायरी का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती अरुणा शर्मा ने साफ किया कि जो सीईओ काम में रुचि नहीं लेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पंचायत भवन में ही हो ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की बैठक : अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने जोर देकर कहा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्यतः पंचायत भवन पर ही हों। साथ ही यह मुकम्मल करें कि शासकीय दफ्तरों की तरह ग्राम पंचायत कार्यालय भी नियमित रूप से खुलें और ग्रामीणों की पंचायत संबंधी समस्याओं का निराकरण भी वहाँ पर हो। श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि पंचायत भवनों के लिए धन की कमी नहीं है। जहाँ जरूरत हो वहाँ तत्परता से ग्राम पंचायत भवन बनवाए जाएँ।

दस पंचायतों के क्लस्टर में रोजगारमूलक गतिविधियाँ : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि हर विकासखण्ड के अंतर्गत 10 पंचायतों का कलस्टर (समूह) बनाकर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराएँ। उन्होंने कहा प्रयास ऐसे हों कि गाँव के हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिले।

बैठक में प्रमुख निर्देश

- हर जिले में तीन माह में आयोजित किए जाएँ रोजगार मेले।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना में ऐसे काम हों जो दूसरी पंचायतों के लिये उदाहरण बनें।
- हर ग्राम पंचायत का एरिया प्रोफाइल पोर्टल तैयार करें। इस पोर्टल पर ग्राम पंचायत की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय जानकारी सहित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जानकारी भी हो अपलोड।
- 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग में पंचायतों को मिलेगा तीन गुना पैसा।
- ग्राम पंचायतें विभिन्न करों से जितनी राशि जुटायेंगी, उसकी दोगुनी राशि उन्हें सरकार से विकास कार्यों के लिये मिलेगी।

महिला पंच करेंगी स्कूल का औचक निरीक्षण : अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने कहा कि गाँव के स्कूलों की पुख्ता व्यवस्थायें करने के मकसद से महिला पंच स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। उन्होंने कहा महिला पंच खासकर शिक्षक एवं बच्चों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे विषयों की नियमित रूप से जाँच करें, ताकि इनमें सुधार लाया जा सके।

हर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे स्टेडियम - अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने बैठक में जानकारी दी कि ग्वालियर-चंबल संभाग के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाए जायेंगे। हर खेल स्टेडियम का निर्माण एक करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से होगा। संभाग के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में जमीन का चयन कर लिया गया है। उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा कि वे विशेष रुचि लेकर स्टेडियम बनवायें। स्टेडियम में मैदान सहित दर्शक, बाउण्ड्रीवॉल, हॉल इत्यादि बनाए जायेंगे। प्रथम चरण का यह काम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के तकनीकी निर्देशन में होगा। द्वितीय चरण में स्टेडियम में खेल के लिहाज से भीतरी काम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कराए जायेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के लिये प्रथम चरण के कामों के लिये 50-50 लाख रुपए का आवंटन दिया जा चुका है। साथ ही द्वितीय चरण के कामों के लिये पंचायत राज संचालनालय द्वारा 30-30 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

●●●

मध्यप्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम

मध्यप्रदेश की ग्रामीण खेल प्रतिभा को संवर्धित करने के उद्देश्य से अब प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाए जायेंगे। ताकि मध्यप्रदेश के युवा खेल जगत में कीर्तिमान रच सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद और सर्वांगीण विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा इस पहल पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तकनीकी मार्गदर्शन में यह निर्माण कार्य किया जायेगा। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण स्टेडियम बनाए जायेंगे। प्रत्येक खेल स्टेडियम का निर्माण एक करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से होगा। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में जमीन का चयन कर लिया गया है। स्टेडियम में मैदान सहित दर्शक, बाउण्ड्रीवाल, हॉल इत्यादि बनाए जायेंगे। प्रथम चरण का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के तकनीकी निर्देशन में किया जायेगा। द्वितीय चरण में स्टेडियम में खेल के लिहाज से भीतरी काम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया जायेगा। प्रथण चरण के कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। द्वितीय चरण के कार्यों के लिए पंचायत राज संचालनालय द्वारा 30-30 लाख रुपये की राशि हर स्टेडियम के लिये उपलब्ध कराई जायेगी।

आयुक्त पंचायत राज श्री रघुवीर श्रीवास्तव ने बताया कि 80 लाख रुपये के मान से अब तक 230 विधानसभा क्षेत्रों को परफार्मेंस ग्राण्ट से राशि आवंटित की जा चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के लिये स्थान का चयन संबंधित जिला पंचायत के विधानसभा क्षेत्र के विधायक की सहभागिता से किया गया है। चयनित स्थल की शासकीय भूमि का आंवटन जिला स्तरीय अधिकारी के समन्वय से जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। स्टेडियम निर्माण की कुल लागत लगभग 160 लाख रुपये है। इसमें 80 लाख रु. प्री-फेब्रीकेटेड इन्डोर स्टेडियम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान योजना के तहत लगाया जायेगा तथा शेष राशि 80 लाख रुपये में स्टेडियम के लिये भूमि विकास तथा ड्रेनेज, बाउण्ड्रीवाल तथा गेट्स दर्शक दीर्घा, शौचालयों के निर्माण विद्युतीकरण एवं पेयजल व्यवस्था की जायेगी। यह 80 लाख रुपये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे। स्टेडियम निर्माण में सम्पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एवं तकनीकी कार्य कुशलता का दायित्व ग्रामीण यांत्रिकी

सेवा विभाग को सौंपा गया है। कार्य के तकनीकी पक्ष को लेकर प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री प्रभाकांत कटारे ने स्पष्ट किया कि उत्कृष्ट गुणवत्ता के स्टेडियम का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा न्यूनतम समय में सुनिश्चित किया जायेगा। इसी विश्वास के साथ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का मैदानी अमला इस कार्य में लग गया है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्टेडियम निर्माण की इस पहल से निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को विकास का अवसर उपलब्ध होगा और भविष्य में सर्वांगीण विकास के साथ खेल जगत में प्रतिभाओं की संभावनाएं बनेंगी।

● अर्चना शर्मा

खेल स्टेडियम में

- मैदान का विकास एवं ड्रेनेज व्यवस्था।
- बाउण्ड्रीवाल, गेट्स आदि का निर्माण।
- 400 मीटर ट्रेक के बाहर 3 मीटर चौड़ाई में ग्रेवल की सड़क एवं इस सड़क का सभी प्रवेश द्वारों तक आवश्यकतानुसार चौड़ाई में निर्माण।
- दर्शक दीर्घा जिसमें स्टेप्स तथा स्टेप्स के नीचे के हॉल्स एलिवेशन में दर्शाये अनुसार दीवार तथा दरवाजे आदि की व्यवस्था एवं शौचालय का निर्माण।
- पेयजल व्यवस्था के लिये ट्यूबवेल का निर्माण। ट्यूबवेल में सबमर्सिबल पम्प एवं उचित आकार का ओवरहेड टंकी तथा सामान्य जनता के लिये पेयजल टेप आदि।
- दर्शक दीर्घा/पवेलियन का विद्युतीकरण एवं सभी प्रवेश द्वारों पर उचित प्रकाश व्यवस्था।
- स्टेडियम के चारों ओर ग्रेवल सड़क का निर्माण।

मनरेगा में मजदूरी बढ़ी

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर में दो रुपये की बढ़ोत्तरी हुयी है। अब मनरेगा में काम करने वाले अकुशल मजदूरों को रोजाना 159 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। मजदूरी की यह दर एक अप्रैल, 2015 से लागू हो गई है। इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी की है। मनरेगा आयुक्त श्रीमती सीमा शर्मा ने मनरेगा की बढ़ी हुयी मजदूरी दर के हिसाब से मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कराने के निर्देश प्रदेश के समस्त जिलों को दिये हैं।

गौरतलब है कि एक अप्रैल, 2014 से 31 मार्च 2015 तक मनरेगा में अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर 157 रुपये तथा एक अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 तक दैनिक मजदूरी दर 146 रुपये थी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 27 लाख 85 हजार परिवार द्वारा 1169.18 लाख मानव दिवस सृजित हुए। कुल सृजित मानव दिवसों में से 186.43 लाख मानव दिवस अनुसूचित-जाति द्वारा तथा 335.15 लाख मानव दिवस अनुसूचित-जनजाति द्वारा सृजित किये गये हैं। कुल सृजित मानव दिवसों में से 505.33 लाख दिवस महिलाओं से सृजित हुए हैं। वहीं मनरेगा से 37 हजार 991 निःशक्तजन को भी काम दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक लाख 56 हजार 909 परिवारों द्वारा साल में 100 दिन का काम किया गया है।

मनरेगा अंतर्गत प्रदेश को मिले 1347 करोड़ - मनरेगा आयुक्त श्रीमती सीमा शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मनरेगा में प्रथम किश्त के रूप में प्रदेश को 1347 करोड़ 8 लाख 42 हजार रुपये की किश्त मिल चुकी है। उपरोक्त किश्त से शीघ्र जिलों को आवंटन प्राप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप जिले में योजनांतर्गत रोजगारमूलक कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। मजदूरों से अपेक्षा है कि वे रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर बाहर न जाएं। उन्हें जिलों में ही पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

मध्यप्रदेश में मनरेगा : योजना प्रारंभ से अब तक

• जॉबकार्डधारी परिवारों की संख्या	- 85 लाख
• काम पर उपस्थित परिवारों की संख्या (औसतन)	- 38.27 लाख
• कुल सृजित मानव दिवस	- 17961 लाख
• अनुसूचित जाति के मानव दिवस	- 3259.93 लाख
• अनुसूचित जनजाति के मानव दिवस	- 7394 लाख
• महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस	- 7756.93
• सौ दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार (औसतन)	- 493148
• कुल व्यय (राशि रुपये)	- 28172.57 करोड़
• मजदूरी पर व्यय (राशि रुपये)	- 16764.3 करोड़

● अनिल गुप्ता

स्व-सहायता समूह

आजीविका से पंचायत प्रतिनिधि तक

हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए। इस बार पंचम पंचायत निर्वाचन चुनाव में हर बार की तरह पंचायत जनप्रतिनिधि चुनकर आने के अलावा कुछ विशेष भी हुआ। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्व-सहायता समूह के सदस्य भी निर्वाचित हुए। निर्वाचित प्रतिनिधियों में एक जिला पंचायत अध्यक्ष, 3 जिला पंचायत सदस्य, 66 जनपद पंचायत सदस्य, 323 सरपंच, 40 उपसरपंच, 1983 पंच शामिल हैं। कुल पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 2416 है।

जनप्रतिनिधियों का यह आंकड़ा उन लोगों का है जो पहले से समाज से जुड़े हैं। उन्होंने आजीविका से स्थाई रोजगार की ओर स्वयं को स्थापित किया है। वे अपने गाँव की क्षमता, मेधा, आवश्यकता को जानते हैं। उनके दिमाग में विकास की प्राथमिकता का खाका स्पष्ट है। सामाजिक जीवन में और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका अपना व्यवहारिक अनुभव है।

विकास की उनकी यह दृष्टि अपनी पंचायत के विकास के लिए, विकास कार्यों की प्राथमिकता की सूची बनाने तथा क्रियान्वयन में विजन प्रदान करेगी। गाँव की वास्तविक जरूरत के अनुसार योजना बनाने में इनके अनुभव बेहतर साबित होंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन गरीब परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार तथा कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, गरीबी दूर करने और मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके द्वारा विभिन्न स्तरों पर समर्पित सहायता, संरचनाओं तथा संगठनों के माध्यम से सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुँच सुनिश्चित करने, उनकी क्षमता में वृद्धि

करने, वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने, स्व-प्रबंधित आत्मनिर्भर संगठनों का गठन, रोजगार से जोड़ने, लाभकारी स्व-रोजगार और उद्यमों के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीब एवं अति गरीब परिवारों की एक-एक महिला को सम्मिलित कर 10 से 20 महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का गठन किया जाता है। जिनके द्वारा नियमित पंचसूत्र के पालन करने पर उन्हें रिवाल्विंग फण्ड तथा आजीविका कार्यों में निवेश राशि उपलब्ध कराई जाती है। इन समूहों द्वारा अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सूक्ष्म निवेश योजनाएँ बनाकर बैंकों में प्रस्तुत की जाती हैं जिसके आधार पर उन्हें ऋण उपलब्ध होता है। समूह के सदस्य उपलब्ध ऋण को आवश्यकतानुसार आपस में बांटकर अपनी आजीविका गतिविधियों को आकार देते हैं अथवा सुदृढ़ करते हैं। निर्धारित समय पर किश्तों की राशि ब्याज सहित वापस बैंकों में जमा कर नये ऋण के प्रकरण बैंक में प्रस्तुत करते हैं।

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका मिशन द्वारा अब तक 40 हजार स्व-सहायता समूहों का निर्माण किया गया है। इन समूहों की महिलाओं ने आजीविका से स्थाई रोजगार की ओर कदम बढ़ाये हैं। स्व-सहायता समूह के साझा प्रयास और निरन्तर मेहनत के परिणामों ने उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। इन समूहों की कई महिलाओं ने आर्थिक मजबूती से खुद को साहूकारों से मुक्त किया है। अपनी गिरवी रखी जमीन, आभूषण, मकान, घर के सामान को छुड़ाया है। ये महिलाएँ बड़े ठाट से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद वहन करती हैं। उनकी शादी की व्यवस्था करती हैं। ट्रेक्टर, साइकल, मोटरसाइकल खरीदने, घर बनाने के लिए पैसों के इंतजाम की जिम्मेदारी निभाती हैं। खेती किसानी, सब्जी-फल फूल, दुकान, स्थानीय कुटीर उद्योगों से लेकर आजीविका स्थाई व्यवस्था करने में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने सफलता अर्जित की है।

आर्थिक रूप से सबल ये महिलाएं

स्व-सहायता समूहों के नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	जिला पंचायत सदस्य	अध्यक्ष	जनपद सदस्य	सरपंच	उपसरपंच	पंच	योग
1	अलीराजपुर	0	0	2	14	0	18	34
2	अनूपपुर	0	1	6	38	0	378	423
3	बड़वानी	0	0	5	38	11	270	324
4	धार	0	0	4	46	4	152	206
5	झाबुआ	0	0	5	16	0	38	59
6	शहडोल	1	0	10	38	4	297	350
7	श्योपुर	0	0	6	25	0	208	239
8	डिण्डौरी	0	0	7	19	21	310	357
9	मण्डला	2	0	21	89	0	312	424
	योग	3	1	66	323	40	1983	2416

आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ग्रामसभा के आयोजन में गाँव की जरूरतों को सामने रखने तथा विकास योजना बनाने के लिए दिशा देने में इनकी सक्रियता रहती है। शौचालय निर्माण को लेकर इन समूहों के कई अनुकरणीय उदाहरण हैं। जिससे प्रेरित होकर गाँव में स्वच्छता के तहत परिवर्तन हुआ है। कुल मिलाकर स्वयं के विकास के साथ गाँव के विकास और समाज के उत्थान के लिए यह समूह सक्रिय है।

अपने आत्मविश्वास के बूते पर ही स्व-सहायता समूह की महिलाएं पंचम पंचायत निर्वाचन में चुनकर आयी हैं। यह आत्मविश्वास उनके स्वयं के कार्य का है। अपने अनुभव का है। इनमें सहयोगी भाव से समाज के लिए कार्य करने का ज़ज्बा है। मध्यप्रदेश में यह एक अच्छी पहल है। अब सामाजिक विकास के जमीनी अनुभव से लबरेज समाज के लोगों ने पंचायत प्रतिनिधि की कमान थामी है। अतः विकास के सकारात्मक परिणामों की प्रबल संभावनाएं हैं।

● जीवनसिंह धनवारे

साक्षात्कार - जिला पंचायत, अध्यक्ष, सीहोर उर्मिला मनोहर मरेठा

हर गरीब को रोजगार उपलब्ध होगा

- **उर्मिला जी आप विकास योजनाओं में पहली प्राथमिकता किस चीज को देना चाहती हैं?**

❐ विकास योजनाओं में पहली प्राथमिकता में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई पर जोर देने पर रखा है। इसके अलावा गरीबों को कुटीर उद्योग उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।

- **जिले के विकास में सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं?**

❐ शासकीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए समय पर बजट उपलब्ध कराया जाए ताकि जिले में सभी वर्ग के लोगों को समय रहते लाभ मिल सके।

- **जिले के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज आप किसे समझती हैं?**

❐ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, ताकि कृषि क्षेत्र का विकास संभव हो सके। वहीं पानी बचाने के लिए गांव स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि पेयजल संकट का समाधान निकाला जा सके।

- **किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या आप कोई कमेटी बनाएंगी?**

❐ जिला पंचायत सदस्यों की कृषि कमेटी बनाई जाएगी जो किसानों की समस्याओं को हल कराने के साथ कृषि विभाग और किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर सके।

- **जैविक खेती के लिए क्या योजना है?**

❐ कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही जैविक खेती विकास की योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन कराना होगा। इसके लिए सभी सदस्यों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की योजना है। हम हर पशु पालक के पास गोबर गैस प्लांट लगवाने का प्रयास करेंगे।

- **गांवों में कई समस्याएं हैं? पहुंचमार्ग की कमी है, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए आपने क्या सोचा है? गांवों के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है?**

जिला पंचायत, अध्यक्ष, सीहोर
उर्मिला मनोहर मरेठा

❐ हर गांव तक पहुंचमार्ग बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्ताव भेजे जाएंगे। सांसद, विधायक से सम्पर्क कर गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

- **सरकारी विभाग, कर्मचारी और जनता इन तीन पक्षों के बीच सुगम और सफल प्रशासन के लिए क्या सोच रहे हैं?**

❐ अधिकारियों के साथ बैठक कर हर विभाग की जिला पंचायत के साथ जनसुनवाई कराने का विचार है। ताकि जनता जनप्रतिनिधियों और शासकीय विभागों के कर्मचारियों से सीधे रूबरू हो सके।

- **शासन से क्या अपेक्षा करती हैं? कोई सुझाव देना चाहेंगी, आपके जिले के संदर्भ में।**

❐ जनता की सुविधाओं का आंकलन कर उनके विकास के लिए जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव पास कर शासन को विकास के सुझाव दिए जाएंगे।

- **आप अपने राजनीतिक जीवन को समाजसेवा व देश सेवा से किस प्रकार जोड़ती हैं?**

❐ राजनीति भी समाजसेवा और देश सेवा का प्रमुख माध्यम है। अपने स्तर पर जनता की सुविधाओं और शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करवाने से समाज की सेवा और प्रदेश व देश का विकास किया जा सकता है।

- **गांवों में आधुनिक तकनीक और ऊर्जा बचत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इससे पंचायतों को किस प्रकार लाभ पहुंचाना चाहेंगी?**

❐ आधुनिक तकनीक मोबाइल, टीव्ही तथा इंटरनेट से अब गांव जुड़ रहे हैं। इसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। पंचायत स्तर पर आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की सुविधाएं उपलब्ध होने से पंचायतों का आधुनिकीकरण हो सकेगा। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त बिजली का सदुपयोग करने के साथ सौर ऊर्जा और गोबर गैस प्लांट लगाने पर जोर रहेगा।

- **गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए क्या करना जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचती हैं?**

❐ हर गरीब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने से गांव आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके लिए शहरों से हर गांव का सड़क मार्ग से जुड़ना आवश्यक है। गांवों में परम्परागत कृषि तथा सम्बंधित काम काज को बढ़ावा देना होगा, ताकि गांवों से लोगों का पलायन रोका जा सके।

- **आज के गांव के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण प्राथकिताएं कौन सी मानती हैं?**

❐ हर गांव में साफ-सफाई की व्यवस्था हो, हर व्यक्ति को पेयजल मुहैया कराया जाना आवश्यक है।

● बुद्ध कुमार लामा

साक्षात्कार - जिला पंचायत, अध्यक्ष, होशंगाबाद कुशल कुमार पटेल

परम्परागत उद्योगों का विकास करना है

- **आप विकास योजनाओं में पहली प्राथमिकता किस चीज को देना चाहते हैं?**

❐ विकास योजनाओं में पहली प्राथमिकता में प्रत्येक पात्र हितग्राही के उपयुक्त राशन कार्ड बनवाना। वहीं अपात्र लोगों के नाम काटे जाने चाहिए ताकि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का सही ढंग से लाभ मिल सके।

- **जिले के विकास में सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं?**

❐ शासकीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत को बजट आवंटित किया जाना चाहिए। ताकि जिला पंचायत अध्यक्ष तथा सदस्य आवश्यकतानुसार बजट राशि खर्च कर जमीनी स्तर पर विकास कार्य करवा सकें।

- **जिले के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज आप किसे समझते हैं?**

❐ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता के लिए जल स्रोतों का संरक्षण। होशंगाबाद जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए।

- **किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या आप कोई कमेटी बनाएंगे?**

❐ हां, जिला पंचायत सदस्यों की कृषि कमेटी बनाई जाएगी जो किसानों की समस्याओं को हल कराने के साथ कृषि विभाग और किसानों के साथ समन्वय बिठा सके।

- **जैविक खेती के लिए आपकी क्या योजना है?**

❐ जिले में जैविक खेती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार रासायनिक खाद के इस्तेमाल के कारण जैविक खेती में उत्पादन कम होने की धारणा किसानों में है। इसके लिए सामूहिक रूप से किसान, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को प्रयास करने होंगे।

जिला पंचायत, अध्यक्ष, होशंगाबाद कुशल कुमार पटेल

विभाग को भी जैविक खेती के प्रयोग तथा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे जिससे किसान प्रोत्साहित होंगे। जैविक खेती की ओर लौटना आज की पहली जरूरत बन गई है।

- **कई गांवों में समस्याएं हैं। पहुंचमार्ग की कमी है। स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए आपने क्या सोचा है? गांवों के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है?**

❐ पांच सौ से हजार तक की आबादी वाले गांव तक पहुंचमार्ग बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्ताव भेजे जायेंगे। सांसद तथा विधायक से सम्पर्क कर विभिन्न मदों की राशि से गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

- **सरकारी विभाग, कर्मचारी और जनता इन तीन पक्षों के बीच सुगम और सफल प्रशासन के लिए क्या सोच रहे हैं?**

❐ शासकीय कर्मचारियों के साथ हर माह बैठक कर जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर जनता जनप्रतिनिधियों और शासकीय विभागों के कर्मचारियों से सीधे रूबरू होने के प्रयास किए जाएंगे।

- **शासन से क्या अपेक्षा करते हैं? कोई सुझाव देना चाहेंगे, आपके जिले के संदर्भ में।**

❐ शासन से अपेक्षा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सदस्यों के लिए बजट आवंटित करे। वहीं योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला पंचायत की सहभागिता को बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि हर गांव तक विकास योजनाएं पहुंचाई जा सकें।

- **आप अपने राजनीतिक जीवन को समाजसेवा व देशसेवा से किस प्रकार जोड़ते हैं?**

❐ लोगों की सेवा करने से ही समाज तथा देश की सेवा हो जाती है। हम जनता से जुड़कर उसकी समस्याओं का समाधान करने और जनता के विकास के लिए काम करेंगे।

- **गांवों में आधुनिक तकनीक और ऊर्जा बचत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे पंचायतों को किस प्रकार लाभ पहुंचाना चाहेंगे?**

❐ जिले की हर ग्राम पंचायत को आधुनिक तकनीक, मोबाइल, टीव्ही तथा इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि शासन की योजनाओं के साथ दुनिया की हर जानकारी ग्रामीणों तक पहुंच सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली पर्याप्त मिल रही है। इसका सदुपयोग करने के साथ अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए।

- **गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए क्या करना जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?**

❐ गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए हर गांव का शहर से सड़क मार्ग से जुड़ना आवश्यक है ताकि गांव के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहर तक आ सकें। शिक्षा के माध्यम से ही गांव आत्मनिर्भर हो सकेंगे। गांवों में परम्परागत उद्योगों का विकास करना भी जरूरी है।

● **साजउद्दीन खान**

साक्षात्कार - जिला पंचायत, अध्यक्ष, विदिशा तोरण सिंह दांगी

गाँव का श्रम और पूंजी गाँव में ही लगे

- **आप विकास योजनाओं में पहली प्राथमिकता किस चीज को देना चाहते हैं?**

❐ विकास योजनाओं में पहली प्राथमिकता में प्रत्येक पात्र लोगों को शासन की सारी पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने का संकल्प लिया है। इसके लिए जिला पंचायत के माध्यम से प्रयास किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता में रखा है।

- **जिले के विकास में सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं?**

❐ प्रदेश और केन्द्र सरकार से अपेक्षा है कि वे विदिशा जिले के ग्रामीण अंचलों को सभी सुविधाएं मुहैया कराए जो शहरों को मिलती हैं, ताकि ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन रोका जा सके, इसके लिए शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएंगे।

- **जिले के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज आप किसे समझते हैं?**

❐ विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है, यदि प्रत्येक बच्चे को सही और उपयुक्त शिक्षा मिल सके तो जिले का विकास अपने आप हो सकेगा। इसी तरह यदि जिले में खासकर ग्रामीण अंचलों में लोग स्वस्थ रहेंगे तो आत्मनिर्भरता और विकास एक साथ हो सकेगा।

- **किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या आप कोई कमेटी गठित करेंगे?**

❐ जिला पंचायत सदस्यों की कृषि कमेटी बनाई जाएगी जो किसानों की समस्याओं को हल कराने के साथ कृषि विभाग और किसानों के साथ समन्वय बिठा सके। जिला पंचायत में सभी प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। कृषि समिति को सक्रिय कर किसानों के हितों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

- **जैविक खेती के लिए आपकी क्या योजना है?**

जिला पंचायत, अध्यक्ष, विदिशा तोरण सिंह दांगी

❐ जिले में जैविक खेती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें एक-एक किसान तक पहुँचाने का प्रयास होगा। इसके लिए विशेष प्रचार-प्रसार की योजना तैयार की जाएगी। कृषि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सभी सदस्यों के साथ इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

- **कई गांवों में समस्याएं हैं? पहुंचमार्ग की कमी है, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए आपने क्या सोचा है? गांवों के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा?**

❐ सड़क से पहुंचविहीन गांवों का सर्वे कर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सड़कों के अलावा मंडी निधि से सड़कों को जोड़ने पर जोर रहेगा, ताकि ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लोगों को परेशानी न हो। वर्तमान में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है इसका व्यावसायिक उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा।

- **सरकारी विभाग, कर्मचारी और जनता इन तीन पक्षों के बीच सुगम और सफल प्रशासन के लिए क्या सोच रहे हैं?**

❐ शासकीय कर्मचारियों के साथ बैठक कर हर माह तहसील स्तर पर जन-समस्या निवारण शिविर आयोजित कराए जाएंगे। जिसमें अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। जनता की समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया जाएगा।

- **शासन से क्या अपेक्षा करते हैं? कोई सुझाव देना चाहेंगे, आपके जिले के संदर्भ में।**

❐ शासन से अपेक्षा है कि गांवों के विकास एवं गरीबों के हितों की योजनाओं की राशि में न तो कमी की जाए और न ही किसी भी कारण से आवंटन रोका जाए ताकि समय पर गरीबों को योजनाओं से लाभांवित किया जा सके।

- **गांवों में आधुनिक तकनीक और ऊर्जा बचत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे पंचायतों को किस प्रकार लाभ पहुंचाना चाहेंगे?**

❐ जिले की हर ग्राम पंचायत को आधुनिक तकनीक मोबाइल, टीव्ही तथा इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा वहीं प्रत्येक ग्राम में गोबर गैस और सौर ऊर्जा के लिए योजना बनाई जाएगी। सौर ऊर्जा विकास के लिए केन्द्र सरकर की योजना जिसमें दस प्रतिशत किसान और नब्बे प्रतिशत सरकार व्यय करती है इसका प्रचार-प्रसार कर हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे।

- **गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए क्या करना जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?**

गांव के श्रम और पूंजी को गांवों में ही रोकने का प्रयास होगा, गांव का युवा बेरोजगार न रहे, इसके लिए परम्परागत व्यवसाय, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों की स्थापना गांवों में ही की जानी जरूरी है।

● दिनकर कद्रे

साक्षात्कार - जिला पंचायत, अध्यक्ष, रायसेन अनिता जयप्रकाश किरार

हर गाँव सड़क, बिजली, पानी से समृद्ध होगा

- **अनिता जी आप विकास योजनाओं में पहली प्राथमिकता किस चीज को देना चाहती हैं?**

❐ जिले के विकास की पहली प्राथमिकता में पहुंचविहीन गांवों में बिजली पहुंचाना है। ताकि प्रत्येक गांव से अंधेरा खत्म किया जा सके साथ ही हरेक ग्रामीण को सीधे जिला, तहसील और नगर से जोड़ा जा सके।

- **जिले के विकास में सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं?**

❐ रायसेन जिले के ग्रामीण अंचल पिछड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर विकास के लिए योजनाएं बनाकर प्रयास कर रही है। जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक गांव के समग्र विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर प्रदेश शासन को भेजे जाएंगे। प्रदेश शासन जिले के ग्रामीण अंचलों को सभी सुविधाएं मुहैया कराए जो शहरों को मिलती हैं, ताकि ग्रामीणों का शहर की ओर पलायन रोका जा सके।

- **जिले के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज आप किसे समझती हैं?**

❐ विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है। किसानों को सिंचाई, खाद, ग्रामीणों को बिजली सड़क पेयजल मुहैया होता रहे तो विकास होता है। सभी विभागों की सही मॉनीटरिंग होती रहेगी तो प्रशासन में कसावट होगी और लोगों को लाभ मिलेगा।

- **किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या आप कोई कमेटी बनाएंगी?**

❐ जिला पंचायत सदस्यों की एक कृषि निगरानी कमेटी बनाई जाएगी जो किसानों की समस्याओं को हल कराने के साथ कृषि विभाग और किसानों के साथ समन्वय बिठा सके। जिला पंचायत में सभी प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। कृषि समिति के सदस्यों को किसानों और ग्रामीण अंचलों में वार्ड अनुसार मॉनीटरिंग का अधिकार दिया जाएगा।

- **जैविक खेती के लिए आपकी क्या योजना है?**

जिले में जैविक खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाना जरूरी है।

जिला पंचायत, अध्यक्ष, रायसेन
अनिता जयप्रकाश किरार

जिला पंचायत के माध्यम से शासकीय अमले और जनता के बीच जैविक खेती को लेकर समन्वय और प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। इसके लिए विशेष प्रयास कराए जाएंगे। कृषि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सभी सदस्यों के साथ चर्चा कर इसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।

- **कई गांवों में समस्याएं हैं? पहुंचमार्ग की कमी है, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए आपने क्या सोचा है? गांवों के लिए आपका एक्शन प्लान क्या होगा?**

❐ सड़क से पहुंचविहीन गांवों का सर्वे कर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के अलावा मंडी निधि से सड़कों को जोड़ने का प्रयास किया जायेगा ताकि ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लोगों को परेशानी न हो, बिजली की उपलब्धता पर्याप्त होने के कारण इसके व्यावसायिक उपयोग का प्रयास किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी सड़क निर्माण और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया जाएगा

- **सरकारी विभाग, कर्मचारी और जनता इन तीन पक्षों के बीच सुगम और सफल प्रशासन के लिए आपने क्या सोचा है?**

शासकीय कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ हर माह बैठक कर विकास योजनाओं पर समन्वय बनाने का प्रयास होगा। प्रत्येक ग्रामीण की अर्जी पर सकारात्मक काम करने का माहौल तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। जन-समस्या निवारण शिविर आयोजित कराए जाएंगे। जनता की समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया जाएगा।

- **शासन से क्या अपेक्षा करती हैं? कोई सुझाव देना चाहेंगी, आपके जिले के संदर्भ में।**

❐ रायसेन जिले में मंडीदीप को छोड़कर बाकी हिस्सा औद्योगिक विकास में पिछड़ा हुआ है। मंडीदीप के उद्योगों में जिले के युवा प्रशिक्षण के अभाव में रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसके लिए औद्योगिक विकास होना चाहिए। वहीं उद्योगों के लिहाज से युवाओं को रोजगारमूलक प्रशिक्षण की शासन से अपेक्षा करती हूं।

- **गांवों में आधुनिक तकनीक और ऊर्जा बचत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इससे पंचायतों को किस प्रकार लाभ पहुंचाना चाहेंगी?**

❐ जिले की हर ग्राम पंचायत को आधुनिक तकनीक मोबाइल, टीव्ही एवं इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा वहीं प्रत्येक ग्राम में गोबर गैस और सौर ऊर्जा के लिए योजना बनाई जाएगी। सौर ऊर्जा विकास के लिए केन्द्र सरकार की योजना है जिसमें दस प्रतिशत किसान और नब्बे प्रतिशत राशि सरकार व्यय करती है। इस योजना से किसानों को लाभ दिलवाया जायेगा।

- **गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए क्या करना जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचती हैं?**

गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए परम्परागत कृषि, उद्यानिकी, फूल, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना जरूरी है। हर गांव सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार से सम्पन्न होगा तो गांव अपने आप आत्मनिर्भर होंगे। कृषि को संरक्षण देने की जरूरत है।

● प्रमोद रघुवंशी

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम

सब्जी उत्पादन से स्थायी आजीविका

दमोह जिले में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से पानी संरक्षण, मिट्टी संरक्षण कृषि विकास तथा संवहनीय आजीविका विकास तथा ग्रामीणों के क्षमता विकास कार्य किये जा रहे हैं। जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमांत व छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों की संवहनीय आजीविका विकास के लिए जलग्रहण स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्रामीणों में संगठन की भावना को बढ़ावा देना तथा उनमें बचत कराने की आदत डालना जिससे अपनी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्तर पर ही की जा सके।

ग्रामीणों की आजीविका विकास के लिये समूहों के माध्यम से छोटी-छोटी आय अर्जन गतिविधि प्रारम्भ करने के लिये प्रत्येक समूह को जलग्रहण परियोजना के द्वारा रुपये 25000/- प्रदाय किये गये हैं। इनमें से ही एक ग्राम अमखेरा जो ग्राम पंचायत दतला में है इस ग्राम में 9 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसमें एक समूह केदार नाथ जलग्रहण स्व-सहायता समूह है, इस समूह में कुल 5 सदस्य हैं। समूह के सदस्य पूर्व में अनाज उत्पादन व छोटे स्तर पर सब्जी उत्पादन का कार्य ही करते थे। परन्तु जब परियोजना से ऋण रूप में रुपये 25000/- रिवाल्विंग फण्ड मिला उसके बाद समूह सदस्यों ने सब्जी उत्पादन का कार्य बढ़ा दिया तथा सभी सदस्यों ने इस वर्ष आलू की फसल लगाई है। कृषि विशेषज्ञ अधिकारियों के द्वारा कृषि तकनीकी जानकारी तथा समूह सदस्यों को समय-समय पर कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में प्रशिक्षण प्रदान कर अच्छी प्रजाति के आलू का बीज 1.5 एकड़ में लगवाया गया था। नवीन तकनीकी अपनाकर तथा समय-समय पर जैविक खाद, नीम खली, बीज उपचार व दवाइयों का प्रयोग किया गया जिससे आलू का अच्छा उत्पादन

मिला है। सदस्यों ने 25000/- रुपये परियोजना से रिवाल्विंग फंड ऋण के रूप में प्राप्त किया तथा 10000/- रुपये स्वयं के द्वारा लगाया जिससे कुल 35000/- रुपये लागत लगी। कुल 1.5 एकड़ में आलू लगाया गया जिसमें लगभग 155 क्विंटल उत्पादन हुआ है। जिसकी वर्तमान में बाजार कीमत लगभग 155000/- रुपये है। कुल लाभ रुपये 120000/- हुआ है। इसी प्रकार दूसरे समूह भी भिन्न प्रकार की आय अर्जन गतिविधियां कर रहे हैं तथा लाभ कमा रहे हैं।

समूह सदस्य की जुबानी : केदार नाथ जलग्रहण स्व-सहायता समूह के सदस्यों का कहना है कि समूह से मिली सहायता से हम लोगों को सब्जी उत्पादन में काफी लाभ हुआ है। हम लोगों की आमदनी दुगनी हो गयी ।

परियोजनाओं के सहयोग से दमोह विकासखण्ड में 410 जलग्रहण स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा प्रत्येक समूहों को रुपये 25000/- रिवाल्विंग फंड जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन परियोजना के द्वारा प्रदाय किया गया है जिसके द्वारा समूह 24 प्रकार की आय अर्जन गतिविधियां कर रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, किराना दुकान, सब्जी क्रय-विक्रय, मनिहारी, ईंट भट्टा उद्योग एवं सिलाई कार्य इत्यादि शामिल हैं। सभी समूह आयमूलक गतिविधियां कर रहे हैं तथा अच्छा लाभ कमा रहे हैं।

● रचना तिवारी

शासकीय मॉडल स्कूलों के माध्यम से

ग्रामीण विद्यार्थियों का संवरता जीवन

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में शिक्षा की महत्ता तथा विद्यालयों की भूमिका और अधिक प्रासंगिक हो गयी है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उत्तम गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्यों के सहयोग से देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3500 विकासखण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में इस तरह के 201 स्थानों पर मॉडल स्कूल संचालित हैं।

मॉडल स्कूल स्थापना के उद्देश्य -

- निरन्तर परिवर्तित हो रहे वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप विद्यालय की भूमिका सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड में न्यूनतम एक विद्यालय में उत्तम गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- शिक्षण, प्रशिक्षण, अधोसंरचना, मूल्यांकन एवं प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निकटवर्ती विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना।
- नवीन उन्नतमुखी पाठ्यक्रम और उन्नत शिक्षण प्रविधियों का अनुप्रयोग कर विद्यार्थियों को सुरुचिपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

लक्ष्य -

- मॉडल स्कूलों में समावेशित शिक्षा को लागू किया जाना, समानता का अधिकार और प्रत्येक का मूल्यांकन व सभी को समान अवसर उपलब्ध हो और पूरी सुरक्षा की उपलब्धता अनिवार्य हो।
- मॉडल स्कूलों में स्वमूल्यांकन की पद्धति पर जोर।
- ज्ञान को बढ़ायें व जीवन में सीखने के प्रति विश्वास को बढ़ायें।
- मॉडल स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा का लक्ष्य।
- सुरक्षित और उत्प्रेरक वातावरण बनाना।

मॉडल स्कूल की गतिविधियाँ -

प्रार्थना सभा - विद्यालय में इस हेतु 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 15 मिनट शाला प्रारंभ के पूर्व एवं 5 मिनट शाला समाप्ति के बाद समय निर्धारित किया गया है, जिसमें राष्ट्रगीत, अनमोल वचन, प्रेरक प्रसंग देश भक्ति गीत, ध्यान, योग एवं राष्ट्रगान आदि का आयोजन समय की उपयुक्तता के अनुरूप किये जाते हैं।

बाल सभा - माह के प्रत्येक शनिवार को शुरुआत के 4 कालखण्डों में या लंच के पहले बालसभा का आयोजन किया जाता है। बालसभा प्रत्येक माह की थीम के माध्यम से करवायी जाती है जो शैक्षिक कैलेण्डर में निर्धारित की गयी है।

अनुशासन और नेतृत्व - विद्यार्थियों में नेतृत्व के विकास के दृष्टिगत स्वस्थ प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं। यह प्रतियोगिताएं सामूहिक होती हैं, जिससे नेतृत्व गुण का विकास होता है। पूरे विद्यालय को चार सदनों में बांटा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक निश्चित समूह में प्रवेश के समय ही रखा जाता है।

पाठ्य सहभागी क्रियाकलाप - विद्यार्थियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए पाठ्यक्रम आधारित विषय रखे गये हैं, जिससे शैक्षिक वातावरण को रचनात्मक बनाया जा सके। एन.सी.सी. और एन.एस.एस. गतिविधियों को जिले में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया गया है तथा रेडक्रास एवं स्काउट की गतिविधियों को संचालित किया गया है।

खेलकूद गतिविधियाँ - समस्त खेल विधा के लिये खेलकूद मैदान तैयार किया गया है एवं प्रति वर्ष लोक शिक्षण संचालनालय के शैक्षिक कैलेण्डर अनुसार खेल गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

सूचना तकनीकी - विद्यालयों में आई.सी.टी. कम्प्यूटर लैब है जहां सभी कक्षा के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं।

विज्ञान क्लब - विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रतिभागिता विकसित करने के लिए विज्ञान क्लब की व्यवस्था की गयी है।

डॉ. सर्वेश सिंह

पंचायती राज का अर्थ एक तरह से सूचना का अधिकार देने के लिए पीठिका की उपस्थापना है। भारत में पंचायतों ने हमेशा से काफी कुछ लोगों के हाथों में ही रखा था। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा था कि एकांतप्रिय शासक जनता को नष्ट कर देते हैं। उसका यह कथन राजकाज में खुलेपन के लिए ही था। दरअसल एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सूचना का अधिकार पंचायती राज की स्वाभाविक निष्पत्ति की तरह आया है या हाल के वर्षों में पश्चिमी दुनिया में चली 'जानने के अधिकार' के फैशन की नकल है। लेकिन यह तय है कि पंचायती राज में जानने का अधिकार तभी व्यवह्यत होगा जब स्वयं के प्रति जिज्ञासा और ज्ञात का संश्लेषण करने की क्षमता लोगों में पनपेगी। पंचायतों में सूचना के अधिकार को इस आलेख के माध्यम से विस्तारित कर रही हैं मुक्ति श्रीवास्तव।

पंचायतें और सूचना का अधिकार

पंचायती राज का अर्थ एक तरह से सूचना का अधिकार देने के लिए पीठिका की उपस्थापना है। चूंकि पंचायती राज में सारे निर्णय ग्रामसभा के सामने होने हैं, इसलिए औपनिवेशिक शैली की गोपनीयता के अब क्या मायने? पंचायती राज में पारदर्शिता अन्तर्हित है। यह तो अंग्रेजों ने 30 अगस्त 1843 से भारत में शासकीय कर्मचारियों पर बाहरी दुनिया से कोई चर्चा न करने, कोई संप्रेषण न करने का प्रतिबंध अधिसूचित किया था और 1889 के इंडियन आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और 1923 के आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जरिए भारत में सरकारी तंत्र को कंदराओं की गुह्य वस्तु में अपघटित कर दिया। यह सही है कि उनके अधिनियमों ने औपनिवेशिक शासकों की काफी जरूरतें पूरी कीं लेकिन गोपनीयता को औपनिवेशिक शासन शैली कहने की जगह में पाश्चात्य शासन शैली कहना उचित समझती हूँ। जिन लोगों को 'लोकतंत्र' की जननी होने का दंभ था, उन ब्रिटिश हुक्मरानों ने 1889 और 1911 में अपने लिए भी शासकीय गोपनीय कानून बनाए थे। इन दोनों सालों में पारित कानून उनके भारतीय संस्करण के पूर्वज थे। ब्रिटेन के विधि निर्माण के दीर्घ इतिहास में यही एक विधान रहा जिसके तीनों पाठ केवल आधे घंटे में पूरे कर पारित कर दिए गए। भारत में पंचायतों ने हमेशा से काफी कुछ लोगों के हाथों में ही रखा था। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा था कि एकांतप्रिय शासक जनता को नष्ट कर देते हैं। उसका यह कथन राजकाज में खुलेपन के लिए ही था।

पंचायती राज में ग्रामसभा के सामने तय करने की प्रवृत्ति सामुदायिक सहभागिता, सहभागी ग्रामीण अन्वीक्षा (पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल) और खुलेपन के परिमाण को भी तय करती है। दरअसल एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सूचना का अधिकार पंचायती राज की स्वाभाविक निष्पत्ति की तरह आया है या हाल के वर्षों में पश्चिमी दुनिया में चली 'जानने के अधिकार' के फैशन की नकल है। अमेरिका और फ्रांस ने इस बाबत कानून बनाए थे। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 1982 में इसका अनुकरण किया। 1951 में फिनलैंड और 1970 डेनमार्क, 1989 में ब्रिटेन ने भी सूचना के अधिकार विषयक कानून बनाए हैं।

जरूरत इस सदी में नए कानून बनाने की नहीं पड़ी तो स्वीडन को जहां 1766 से ही खुलेपन की शासन-विधि रही है। मध्यप्रदेश को राजस्थानी सरगर्म हवाओं से प्रेरणा मिली या पश्चिमी दुनिया से, इस पर कई कयास लगाए जाएंगे, लेकिन शासन अभी सुविधापूर्वक यह दावा कर सकता है कि जब पंचायती राज की तीसरी पीढ़ी आई तो फिर सूचना का अधिकार आना ही था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसके लिए तृणमूल (ग्रासरूट) राजनीतिक प्रक्रिया चली है, की तार्किक परिणति ने शासन को यह मुद्रा धारण करने के लिए बाध्य किया है। यह मुद्रा कितनी भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में बनाए गए हाव-अनुभावों सी है और कितनी वास्तविक और व्यवहार्य, इसे निर्णीत करने के लिए हमारे प्रदेश में 'ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल' जैसी कोई संस्था नहीं है, लेकिन यह तय है कि पंचायती राज में जानने का अधिकार तभी व्यवह्यत होगा जब स्वयं के प्रति जिज्ञासा और ज्ञात का संश्लेषण करने की क्षमता लोगों में पनपेगी अन्यथा सूचना की दुकान लगाए बैठे रहेंगे, ग्राहक आएंगे ही नहीं। इस दुकान का स्थापना

खर्च ही कई बार सूचना-आवेदनों से लाखों गुना ज्यादा हो जाएगा। पटवारी रिकार्ड, खसरा, खतौनी, नक्शे आप लाखों खर्च कर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रखवा सकते हैं उसी तरह से जैसे मन्दिर में छप्पन भोग तैयार कर रखवा लिया जाता है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने की अन्तःप्रेरणा जनता-जनार्दन में पैदा ही नहीं हुई तो सब ठाठ धरा रह जाएगा। प्रश्न यह भी है कि क्या एक वर्ग-विभाजित समाज में पारदर्शिता और भागीदारी संभव है। लेनिन के शब्दों में 'कटी-छटी और आबद्ध' (curtailed and restricted) जम्हूरियत ही वर्गाधारित समाजों में देखने को मिलती है क्योंकि ग्रामीण शासक वर्ग की प्रवृत्ति ही सत्ता को हथियाए रखने (मोनोपालाईज करने) की होती है। इसलिए महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और ग्राम पंचायत मुख्यालय से बाहर के गांवों, टोलों, पारों के लोगों की अत्यन्त सीमित उपस्थिति ही ग्राम सभाओं में दर्ज होती है। लेनिन ने कहा था 'हम लोग स्वप्नजीवी नहीं हैं, हम जानते हैं कि एक अकुशल मजदूर या रसोइया तुरत फुरत राज्य प्रशासन का काम नहीं संभाल सकता।' लेकिन सवाल यह है कि यह निष्कर्ष भी बिना उसकी गुह्य क्षमताओं को परखने का मौका दिए कैसे निकाला जा सकता है। ग्रामीण सत्ता-संरचनाएं क्या ग्रामसभा में ऐसे मजदूरों-किसानों-औरतों को अभिव्यक्त होने का मुक्त मंच देगी? इसका हमेशा ही निराशावादी उत्तर हो, यह जरूरी नहीं। जी.के. लीटन, एन. वेब्सटर और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रमोद दास गुप्ता का पश्चिम बंगाल की नई और वर्तमान ग्राम पंचायतों के संबंध में यही निष्कर्ष है कि वे भारत के पुराने राजनैतिक पैटर्न से हुई टूटन का प्रतिनिधित्व करती हैं और जमींदारों व बड़े धनी किसानों के प्रभुत्व से मुक्त हैं। यदि इन अध्यनों को सच मान लिया जाए तो यह प्रश्न अब वस्तुनिष्ठता का तकाजा बन जाता है कि इसका श्रेय पश्चिम बंगाल में हुए भूमि-सुधार आन्दोलन को दिया जाए या पंचायतों के दलीय राजनीतिक चरित्र की। लेकिन पार्टी-आधारित पंचायती व्यवस्था ही गुटबंदी पैदा करती हो, यह जरूरी नहीं है। चुनाव आधारित किसी भी व्यवस्था में गुटबंदी रहेगी इसलिए पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के अनुभवों को मध्यप्रदेश में न दुहराने के लिए पंचायत चुनाव घोषित दलीय आधार पर भले ही न लड़े गए हों उन्होंने भारतीय ग्रामों की सर्वानुमति वाली सामूहिकता का विच्छेद तो किया ही है। प्रश्न यह है कि जात बिरादरी वाली गुटबंदी को बहुदलीय गुटबंदी से विस्थापित करना क्या अधिक प्रभावशील न होता? प्रतिप्रश्न यह है कि भारत की बहुदलीय राजनीति जात बिरादरी की पहचान को क्रिस्टलाइज कर रही है या कम कर रही है। दूसरे जैसा कि वेब्सटर ने, आलोचना के स्वर में ही सही, स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल की पंचायतें बाद में 'रेडिकल सक्रियतावाद से सर्वानुमतिमूलक राजनीति पर' उतर आयी हैं। यह बताता है कि भारतीय पंचायतों का मूल स्वर क्या हो सकता है? मध्यप्रदेश में जनपद और जिला स्तर पर अध्यक्षों का प्रत्यक्ष निर्वाचन न चुनकर इस अन्तर्द्वन्द्व से बचा तो गया लेकिन इसमें राजनीतिक सत्ता के वितरण की वैधता (लेजिटिमेसी) प्रश्नचिन्हित हो गई। जब जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया तो प्रश्न यह उठा कि मात्र 25-30 लोगों के बीच गुटीय तिकड़मों से अध्यक्ष बन गए लोग तो सारे सम्मान और शक्तियों से नवाजे जा रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों के मतों से सीधे निर्वाचित विधायक-सांसद नई पंचायती व्यवस्था के हाशिए पर हैं। राजनीतिक वैधता यदि लोकप्रिय इच्छाओं का अधिकाधिक संकलन है तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रत्यक्षतः निर्वाचितों के अधिकार और शक्तियां उन लोगों से अधिक होंगी जिनके समर्थन-पिरामिड का आधार अपेक्षया संकुचित है, ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायतें आज यदि अधिक खुली हैं और उनकी तुलना में जिला पंचायतों का अपारदर्शी गोरखधंधा आम आदमी की समझ के बाहर पड़ता है तो उसका एक कारण उनकी संरचना में है। यानी पंचायती राज में सूचना का अधिकार पंचायतों की ढांचागत विशिष्टताओं से प्रभावित होता है क्योंकि ग्राम पंचायतों को तो ग्राम सभाओं की तात्कालिक, बहुल और सीधी मौजूदगी से अनुशासित होना पड़ता है और इस रूप में उनका सोशल आडिट त्वरित है लेकिन जिला पंचायतों या जनपद पंचायतों को सोशल आडिट का भय तो क्या अंदेशा तक नहीं है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि जिला पंचायत का अप्रत्यक्ष निर्वाचन कम खर्चे वाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें धनशक्ति का प्रदूषणकारी असर उतना देखने में नहीं आता। दूसरे प्रत्यक्ष निर्वाचन जिला पंचायत को संसदीय (पार्लियामेंटरी) स्वरूप से अध्यक्षीय (प्रेसिडेंशियल) स्वरूप तक ले जाएंगे। यह भी संभव है कि जिला पंचायत की सामान्य सभा में जिसे बहुमत हासिल न हो वह व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाए - इससे पंचायतों के सहज संचालन में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। एक तरह से यह देश में शासन के दो अन्य स्तरों - राज्य और केन्द्र - की संसदीय पद्धतियों से भिन्न और विसंगत भी होगा। प्रत्यक्षतः निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष निःशक्त नहीं होगा क्योंकि जन-समर्थन स्वयं सत्ता और अधिकार का आधुनिक युग में सबसे बड़ा स्त्रोत है। किसी व्यक्तिशः निःशक्त अध्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का इतना तामझाम करने की आवश्यकता और औचित्य भी नहीं होगा। कर्नाटक ने तो 'प्रिसीडियम' व्यवस्था अपना ली है और अप्रैल 97 में पंचायत अधिनियम में संशोधन कर तालुका और जिला परिषद के प्रमुखों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर बीस माह करने का निर्णय भी लिया गया ताकि अधिक से अधिक पंचायत प्रतिनिधि लाभान्वित हो सकें किन्तु म.प्र. ने 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई कमी नहीं की है। इसके बाद भी अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से बहुत ताकतवर नहीं है, यह सच है।

पंचायती राज में सूचना का अधिकार और अधिक उपयोगी हो सकता था यदि ग्राम पंचायतों में समिति प्रणाली ठीक से काम कर रही होती। जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों की समितियां तो फिर भी काफी सक्रिय हैं लेकिन ग्राम पंचायतों की समितियां काफी हद तक व्यर्थ अतिरिक्तता की शिकार हैं या तो वे ढंग से काम नहीं करतीं या निष्क्रिय हैं या नदारत हैं। इसका एक कारण संभवतः 'स्केल' में है। पंचायतें इतनी छोटी हैं, सदस्य इतने कम और लोग इतने पास कि समितियां स्वयं का होना न होना बेमानी समझने लगती हैं। लेकिन यदि ये समितियां विषय-विशिष्टताओं में जानकारी से अधिकार को प्रयुक्त करें तो ग्राम सभाओं में काफी कटुताओं और अभद्रताओं को टाला जा सकेगा।

इस्लामनगर

स्मारक भी बदलते हैं जीवन

इस्लामनगर, भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी ग्राम पंचायत है। इतिहास में आज का उपेक्षित, भोपाल की तेज रफ्तार जिंदगी से छिटका हुआ सा इस्लामनगर, 1709 के आसपास तक जगदीशपुर के नाम से सत्ता का केंद्र था। सत्ता और वक्त के थपेड़ों में फंस कर जगदीशपुर का पतन हुआ और उसके विध्वंस पर उदय हुआ भोपाल रियासत का इतिहास। सत्ता के केंद्र कभी स्थिर नहीं रहे। आज इस्लामनगर के महलों की दीवारें अपने वैभव और पतन दोनों की गवाह बनी हैं। उसके आसपास करीब तीन हजार की आबादी है। हिंदू और मुसलमान समाज वहां मिल जुल कर रहता है और कमाता खाता है। इस्लामनगर अब एक पर्यटक स्थल के रूप में स्थित है। उस गांव के आर्थिक सामाजिक ढांचे में इस्लामनगर के महलों का योगदान भी है।

पर्यटन एक ऐसा शब्द जिसके उच्चारण मात्र से भारतीय संस्कृति की झलकियां मानस पटल पर अपने आप झलक उठती हैं। इसके साथ ही देश को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इण्डिया आदि। जिस प्रकार इसके सम्बोधन में विविधता है, उसी प्रकार यहां की संस्कृति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय, रहन-सहन, खान-पान तथा भौगोलिक स्थिति व जलवायु आदि में भी अत्यधिक विविधता है जो यहां के वैभव और महान संस्कृति का परिचायक है। इस्लामनगर अब सत्ता की खाली जगह है जिसके वैभव को देखने और भोपाल के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए नदी किनारे का शांत और मनोरम स्थान आकर्षित करता है।

सत्ता और राजपाट कभी स्थिर नहीं रहे। यही कारण है कि जगदीशपुर दोस्त मोहम्मद खां के आक्रमण के बाद इस्लामनगर हो जाता है। उस समय के जगदीशपुर के लोग खेती किसानी और दस्तकारी करते थे। लेकिन

इतिहास अपने साथ बहुत सी चीजें बदलता है। इस्लामनगर के लोग अब इस इतिहास के साथ रहते हैं। वे दोस्त मोहम्मद खां के बनाए गौड़ महल, चमन महल और रानी महल के साथ रहते हैं। भोपाल के करीब बसा इस्लामनगर 17वीं शताब्दी तक गौड़ राजाओं के आधिपत्य में रहा। उस समय इस स्थल को जगदीशपुर के नाम से जाना जाता था। जगदीशपुर चारों तरफ से किले की ऊंची दीवारों से घिरा था। उसका शासक नरसिंह देवड़ा चौहान एक राजपूत सरदार था।

18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सरदार दोस्त मोहम्मद खान जो अफगानिस्तान के खैबर क्षेत्र तिराह से भारत आया था। बहरहाल जब दोस्त मोहम्मद खां भारत के राज्यों तथा रजवाड़ों से भटकता हुआ 1709 में बैरसिया आ गया। उस समय बैरसिया एक छोटा सा सूबा था जिसमें मुगल सूबेदार ताज मोहम्मद वहां का शासक था। दोस्त मोहम्मद ने किसी तरह से बैरसिया का शासन ताज मोहम्मद से छीन लिया। यह उसकी सफलता की पहली सीढ़ी साबित हुआ। अब उसका ध्यान राज्य विस्तार की और गया। 1715 में दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर के शासक नरसिंह देवड़ा को षड्यंत्रपूर्वक बैस नदी के तट पर एक विशाल तम्बू में सहभोज के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही भोज प्रारंभ हुआ दोस्त मोहम्मद के सिपाहियों ने तम्बुओं की रस्सियां काट दीं तथा निहत्थे राजपूतों को हलाल कर बैस नदी में फेंक दिया। बैस नदी रक्तरंजित हो गई। इसके बाद इसका नाम हलाली नदी हो गया।

दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर का दुर्ग जीतकर इसका नाम इस्लामनगर रखा। 1719 तक दोस्त मोहम्मद खान ने सम्पूर्ण भोपाल को अपने आधिपत्य में कर लिया और इसकी प्रथम राजधानी इस्लामनगर को बनाया। इस्लामनगर में उसने दो भव्य महलों का निर्माण कराया जिसे हम रानी महल और चमन महल के नाम से जानते हैं। दोनों महल वर्तमान मं संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। आज इस्लामनगर में पर्यटक स्थल के रूप में वहां का आर्थिक सामाजिक बदलाव भी उनके जीवन में घुला मिला दिखाई देता है। उस समय सत्ता के बदलने के साथ नागरिकों की जीवनशैली और रोजगार के साधन भी बदलते थे। यह क्रम आज भी जारी है। अब इस्लामनगर की आबादी करीब तीन हजार है। वहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिल जुल कर रहते हैं। दोनों समुदाय इस इतिहास की धरोहर से अपनी आजीविका को जोड़ कर देखते हैं।

इस्लामनगर के इन महलों के मुख्य प्रांगण के प्रवेश द्वार पर करीब पंद्रह साल से अपनी दुकान चला रहीं सरस्वती बाई का कहना है कि हमारी दुकान शनिवार रविवार को सबसे अधिक चलती है। करीब हजार से दो हजार की बिक्री हो जाती है। वे यहां बहुत आराम से अपनी दुकान चला रही हैं। न पंचायत की मनाही है और न ही किसी अन्य तरह की दिक्कत।

वे कहती हैं कि यहां कुछ और जो बिखरी हुई इमारतें हैं, कुएं और बावड़ी हैं उनको भी देखने लायक बनाया जाए। ताकि और पर्यटक यहां आ सकें। सरस्वती बाई का कहना है कि एक बड़ा पार्क भी यहां होना चाहिए।

इस्लामनगर में पहले से बहुत कुछ रहा होगा। लेकिन दोस्त मोहम्मद की रियासत कायम होने के बाद रानी महल अस्तित्व में आया। मुगल और मालवा स्थापत्य शैली का अनुपम उदाहरण है। मुख्य रूप से इस महल का निर्माण नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने अपने हरम के लिए कराया था जिसमें उनकी बेगम निवास करतीं थीं। भव्य प्रवेश द्वार के साथ यह इमारत तीन मंजिला निर्मित है। इस भवन के निर्माण में ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर, ईंट, चूना इत्यादि उपयोग किया गया हैं। भूतल पर कक्ष का निर्माण किया गया है। प्रथम तल पर सुन्दर बारादरी जो उस समय बांसों की चिक से ढंकी रहती है। द्वितीय तल पर शौचालय सहित खुले लम्बे प्रागंण तथा तृतीय तल पर हवादार सुन्दर छत्रियों का निर्माण कराया गया है।

चमन महल और रानी महल के मध्य मुक्ताकाश है और बड़े-बड़े दो सुन्दर प्रांगण हैं। रानी महल के साथ लगा हुआ प्रांगण जो कि मुख्य रूप से पर्दानशीं बेगमों द्वारा ही उपयोग किया जाता रहा होगा क्योंकि इसे सामने की तरफ बनी दीवारों से ढांका गया है जिसे कालांतर में विकसित करते हुए शानदार पिकनिक स्थल के रूप में दर्शकों के लिए खुला है। महल के पूर्व तथा पश्चिम में स्थित भवन जो कि नवाबी दौर में संभवतः सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय व मेहमानखाना रहा होगा।

चमन महल

चमन महल का मुख्य द्वार मालवा और मुगलशैली का परिचायक है। नवाब दोस्त मोहम्मद खान द्वारा इन महलों का निर्माण कराया जा रहा था तब संभवतः आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी जिससे वो यहां बहुत बड़े महल का निर्माण नहीं करवा पाया। उसने महल का वृहद रूप देने के लिए सुन्दर बगीचे का निर्माण कराया और इसे हरियाली के साथ जोड़कर चमन महल का नाम दिया जिससे कम खर्च में वृहद और भव्य महल का निर्माण संभव हो सका।

शीश महल

चमन महल के मुख्य द्वार के साथ ही कांच लगे बारह दरवाजों से सुसज्जित प्रासाद है। कहा जाता है कि नवाब यहां बैठकर चौपड़ खेला करते थे। यह शानदार हवादार है तथा यहां से चमन महल का बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यहां से मुगल गार्डन में जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां निर्मित हैं।

इस्लामनगर के लोगों को लगता है कि वे उस जमीन के बाशिंदे हैं जिसे राजा नरसिंह देवड़ा और भोपाल रियासत के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खां ने स्थापित किया था। बहरहाल सलीम खां जो इस्लामनगर में कुल्फी बेच रहे थे। बातचीत में वे कहते हैं कि यूं तो उनके पास कोई स्थाई रोजगार नहीं है लेकिन उनको लगता है कि इस्लामनगर कुछ खास तो है। सलीम कहते हैं वे पर्यटकों के हिसाब से अपना धंधा करते हैं। आज कुल्फी बेच रहे हैं तो बरसात में ताजी देशी ककड़ियां बेचते हैं।

उन्हें लगता है कि इस्लामनगर को इतने लोग देखने आते हैं तो जरूर कुछ खास तो होगा।

ऐतिहासिक धरोहरों से बदलता आर्थिक सामाजिक परिदृश्य

यदि हम देश की चर्चा कर रहे हैं और ग्रामों का समायोजन न करें तो अधूरा प्रतीत होगा। गांधी जी के शब्दों में भारत गांवों में बसता है और बिना गांवों का विकास किए भारत का विकास संभव नहीं है। भारत में 74 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। शायद इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने भी गांवों की तरफ लौटने का विचार दिया। यह माना जाता है कि भारत में प्रत्येक 9 कोस की दूरी पर जल की प्रकृति और भाषा में बदलाव हो जाता है, अर्थात् यहां के गांवों के मध्य कुछ न कुछ विविधता अवश्य ही विद्यमान है। इतने व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तारित, स्थित तथा विविधताओं से सम्पन्न होने के कारण भारत में ग्रामीण पर्यटन की प्रचुर सम्भावना है। ग्रामीण पर्यटन में ग्रामीण कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, वानिकी, पारिस्थितिकी, संसाधन आदि समस्त पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं।

वर्तमान में इस महल के इस भाग में भोपाल की प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों व वर्तमान में चल रहे विकास उन्नयन तथा अनुरक्षण के साथ छायाचित्र सहित भोपाल रियासत का इतिहास और सभी नवाबों के कार्यकालों को प्रदर्शित किया गया है।

मुगल गार्डन (चारबाग शैली)

चमन महल स्थित यह बगीचा मुगल गार्डन की चारबाग शैली से निर्मित है जो तीन तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। चारबाग शैली से तात्पर्य एक चतुर्भुज को विभाजित करते हुए चार चतुर्भुज में निर्मित किया गया है जिन्हें सुन्दर फब्बारों और पानी के हौज से विभाजित किया गया है। इसमें चार सुन्दर लॉन हैं जिसके चारों तरफ सुन्दर क्यारियां बनाई गई हैं। प्रमुख रूप से इस प्रकार के गार्डन की परम्परा परायिन एम्पायर से प्रभावित होकर बादशाह बाबर द्वारा यह प्रारंभ की गई और उनके द्वारा गार्डन बनवाए गए। वर्तमान में भारत में इस शैली से निर्मित गार्डन कश्मीर, पिन्जौर, चण्डीगढ़, औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली, अजमेर और उदयपुर में हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के गार्डन विभिन्न देशों में भी हैं जो सिराज, स्पेन, मोरक्को, पाकिस्तान सहित यूरोप व दक्षिण अफ्रीका में भी हैं। चमन महल स्थित गार्डन में शानदार फब्बार पानी की चादरें सहित, खूबसूरत पानी के हौज हैं। महल के पश्चिमी और उत्तरी भाग में दो अन्य फब्बारे निर्मित हैं जिनमें छोटे-छोटे आले हैं जिनमें जलते हुए दीपक रखे जाते थे और उसके ऊपर से पानी बहता था। यह अतिसुन्दर व दर्शनीय है। महल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कुआं जो पानी का मुख्य स्त्रोत हुआ करता था उस कुएं के साथ ही ऊपर की तरफ पानी के भंडारण के लिए एक बड़ा होज निर्मित है जिसे उस समय रहट के माध्यम से भरा जाता रहा होगा और इसी हौज से पानी का वितरण सम्पूर्ण महल सहित बगीचे और फब्बारों के लिए भी इसी के पानी के दबाव से चलाया जाता था।

चमन महल की बारादरी व पातरा नदी का परिदृश्य

चमन महल गार्डन के साथ नवाब दोस्त मोहम्मद खान द्वारा आलीशान बारादरी का निर्माण कराया गया जिसमें महत्वपूर्ण बैठक सहित नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित होते होंगे। बारादरी के सामने फब्बारों के समीप ही नवाब की बैठक जो पत्थर की नक्काशीदार जालियों से निर्मित है। चमन महल प्रवेश द्वार से दो मंजिल तथा पृष्ठ भाग से तीन मंजिल इमारत है जिसके भूतल पर बहुत बड़ा हॉल, प्रथम तल पर बारादरी अन्य कक्ष तथा हमाम द्वितीय तल पर मुक्त आकाश सहित महल के दोनों कोनों पर सुन्दर छत्रियों का निर्माण कराया गया है। यहां से पातरा नदी सहित पूरे क्षेत्र का प्राकृतिक तथा मनोहारी दृश्य देखने लायक है।

हमाम

चमन महल के उत्तरी भाग में स्थित हमाम मुगल स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है उस समय के वास्तु के अनुसार यह इस तरह निर्मित किया गया है जिससे सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक सूर्य का प्रकाशन कहीं बाधित नहीं होता है। इसके साथ ही प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग यहां किया गया वह देखने लायक है। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं यहां का खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर से निर्मित फब्बारा है। इसके साथ ही लगा हुआ हमाम का प्रथम कक्ष जिसमें प्रवेश करते ही आप प्राकृतिक रोशनी से नहा उठते हैं। यह कक्ष जिसके चारों तरफ नीचे की ओर कांच लगे हुए हैं। यह श्रृंगार कक्ष है। श्रृंगार कक्ष तथा हमाम की छत वृत्ताकार है। जब आप हमाम में पहुंचते हैं इसके तीन तरफ दीवारों के साथ पानी के चार होज हैं इनमें से दो ठंडे पानी के और तीसरा होज गर्म पानी का है जिसके मध्य में तांबे की एक प्लेट है। होज के नीचे बाहर की तरफ एक भट्टी निर्मित है जिसमें लकड़ियां जलाई जाती थी। इससे पानी गर्म होता था और भाप भी बनती थी जिससे भाप स्नान किया जा सकता था। नवाबी दौर में यह महल शांत, शीतल और हरे-भरे वातावरण के साथ पूरे शबाब पर रहा, किन्तु रियासतों के भारतीय यूनियन में शामिल होने के बाद यह स्थल कई वर्षों तक उपेक्षित रहा। तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1961 में इसे संरक्षित स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया तब से अभी तक लगातार इसका उन्नयन, विकास और संरक्षण कार्य चल रहा है, जिससे इसका पुराना स्वरूप लौट रहा है।

ग्रामीण पर्यटन से ग्रामीण विकास की संभावनाएं

इस्लामनगर की ग्रामीण पृष्ठभूमि और

इस्लामनगर में हम अपने पुरखों के जमाने से रह रहे हैं। करीब बीस साल से दुकान चला रहे हैं आज जो लगता है कि महलों के चारों तरफ सड़कों का विकास होना चाहिए। नदी तक भी सड़क हो और वहां नाव चलाने की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा होगा। इससे अंदर गांव को देखने और दूर-दूर से आने वालों को सुविधा होगी। हमें यहां अच्छा लगता है शांत माहौल है। कुछ खेती भी है। पास में भोपाल है तो कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार यहां नदी के किनारे पर पर्यटन का विकास करे।

● सुमित जैन

अफसर खान इस्लामनगर का किशोर है जो महल के किनारे अपनी छोटी सी दुकान चलाता है। कक्षा आठ में मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल में पढ़ रहे अफसर ने बताया कि छुट्टी के दिन बिक्री बढ़ जाती है। हमें भी अच्छा लगता है। वह पढ़ने के बाद कुछ बचे समय में दुकान पर बैठता है जब वह स्कूल जाता है तो उसके पिता दुकान चलाते हैं। अफसर का कहना था कि अगर यहां बाहर के लोग न आएं तो हमारी बिक्री बहुत ही कम हो जाएगी। अफसर का कहना है कि यहां लोगों को कुछ देर ठहरने के लिए पार्क बन जाए और उसमें पेड़ों की घनी छांव हो।

अफसर खान,
इस्लामनगर

नदी का किनारा होने के कारण सामान्य पर्यटन, वानिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन और जलक्रीड़ा पर्यटन का विकास संभव है। इसके साथ-साथ बोटिंग, कैम्पिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संभव है। भूमि टुकड़ों में विभाजित है, जिससे कृषि का विकास भी नहीं हो पाया है। अपेक्षाकृत यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से पिछड़ा होने के बाद भी विकास की कोशिश में जुटा है। साक्षरता दर कम होने के कारण अन्य क्रियाओं की अपेक्षा पर्यटन के लिए सहायक क्रियाओं में यहां के मानव संसाधन भंडार का उचित रूप में उपयोग किया जा सकता है। चूंकि यहां के समस्त दार्शनिक स्थल अत्यधिक पिछड़े गावों से घिरे हुए हैं, अतः ग्रामीण पर्यटन यहां के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। यदि इन समस्त क्षेत्रों का समेकित रूप से विकास किया जाए तो यह भारतीय व विदेशी सैलानियों के लिए पर्यटन का केन्द्र बिंदु बन सकते हैं।

ग्रामीण पर्यटन के विकास में सहायक गतिविधियां

ग्रामीण भारत को ध्यान मे रख कर भारत सरकार ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दे सकती है। इसके अतिरिक्त भोपाल स्थित संस्कृति मंत्रालय, पुरातत्व विभाग, पंचायतीराज संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्राविधिक विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं तथा विद्वानों अन्य को भी शोध व विकास के लिए सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिससे ग्रामीण पर्यटन के संभावित सभी पक्षों का बारीकी से अध्ययन और विकास संभव हो सके।

इस्लामनगर पंचायत में मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकमुश्त सहायता, सूक्ष्म एवं लघु अवधि ऋण योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग सहायता योजना जैसी परियोजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं को ग्रामीण पर्यटन में शामिल किया जाना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि वह सभ्यता बहुत अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सकती, जिसे अपने इतिहास की महत्ता का बोध न हो। अतः ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से जहां एक ओर विभिन्न संस्कृतियों के समागम का अवसर मिलेगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के अंतर्मन में अपनी संस्कृति, आचार विचार और राष्ट्रीय संसाधनों के प्रति सजगता का विकास होगा। इन गतिविधियों के बढ़ने से ग्रामीण विस्थापन व ग्रामीण प्रवास रोकने में मदद मिलेगी। ग्रामीण पर्यटन के द्वारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी को भी रोकने में मदद मिलेगी। यदि इन समस्त विचारों को ध्यान में रखकर कदम उठाए जाएं, तो हम इस क्षेत्र विशेष के साथ-साथ मध्यप्रदेश के ग्रामीण पर्यटन के अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं और यहां आने वाले हर एक सैलानी के मानस पटल पर ग्रामीण पर्यटन की अमिट छाप छोड़ सकते हैं। आज जो कुछ दिख रहा है वह इतिहास का हिस्सा है और हमें इन सबको ऐतिहासिक नजरिये से ही देखना चाहिए।

● रविन्द्र स्वप्निल

इस्लामनगर पुरातत्व विभाग में काम कर रहे रामसेवक ने बताया कि यहां चार सौ से एक हजार टिकट बिक जाते हैं। अवकाश के दिनों में एक हजार सामान्य दिनों में करीब चार सौ टिकट बिकते हैं। यहां सरकारी गाइड है जो पर्यटकों को इस्लामनगर का इतिहास बताता है।

ग्रामसभाओं का अनिवार्य त्रैमासिक सम्मेलन

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का प्रत्येक वर्ष चार त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित करवाना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 14 अप्रैल से ग्रामसभाओं के त्रैमासिक सम्मेलन प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित किये जायें। ग्राम सभा के आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लगाई जाए और संबंधित गाँव में मुनादी कराई जाए। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1/2011/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 06.04.2015**

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय - दिनांक 14 अप्रैल, 2015 से ग्रामसभाओं का आयोजन।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मिलन आयोजित करना अनिवार्य है, उक्त त्रैमासिक सम्मिलन के क्रम में दिनांक 14 अप्रैल 2015 से ग्रामसभाओं का पहला सम्मेलन है। अतः नव निर्वाचित पंचों/उपसरपंचों को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की जावे। विभाग द्वारा प्रकाशित नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिये पंचायत दर्शिका में वर्णित विषयों की जानकारी दी जाये। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा के एजेंडे में निम्न बिंदुओं को भी जोड़ा जावे।

(1) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामसभा में नगद कोष निर्मित किया जाना एवं संचालन प्रक्रिया निर्धारित करना।
(2) शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामसभा के सूचना पटल पर प्रदर्शित करना।
(3) महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर ग्राम सभा में चर्चा कर जागरूकता बढ़ाना।
(4) ग्रामसभा की स्थायी समितियों के गठन संबंधी विषय पर चर्चा करना।
(5) ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षा का स्तर पर चर्चा तथा शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार बच्चों ने निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है अथवा नहीं। स्कूल चलें हम के दौरान शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन हुआ या नहीं और नामांकित बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं या नहीं।
(6) पंचायतों में करारोपण के माध्यम से आय के स्त्रोतों में वृद्धि के संबंध में चर्चा करना।
(7) वार्षिक कार्ययोजना 2015-16 के लिये चयनित ग्राम पंचायतों की ग्रामसभाओं में ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु संकल्प दिलाना।
(8) जिले की समस्त ग्रामसभाओं में पंचायत क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन व अनुमोदन।
(9) नव चयनित स्वच्छता दूत तथा नव चयनित प्रेरकों की सूची का ग्रामसभा में वाचन।
(10) वर्ष 2014-15 में खुले में शौच से मुक्त हो चुकी पंचायत में समारोह आयोजन पर चर्चा व तिथि का निर्धारण।
(11) पंच परमेश्वर योजनांतर्गत उपलब्ध राशि से शालाओं में साबुन से हाथ धोने हेतु इकाई (Handwashing Platform) निर्माण का

ग्रामसभा में अनुमोदन कराना।

(12) ग्राम सभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति के सदस्यों की गतिविधियों का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार पुनर्गठित करना एवं ग्रामसभा स्वास्थ्य तदर्थ समिति के दायित्वों पर चर्चा कर समीक्षा करना।

(13) एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम IWMP परियोजना अंतर्गत संबंधित ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2014-15 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।

(14) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 01 अप्रैल 2010 से प्रदेश में लागू हो चुका है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों का नामांकन उनकी उपस्थिति तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य शासन/स्थानीय निकाय का है।

(15) प्रदेश में स्कूल चलें हम अभियान 2015 माह अप्रैल में संचालित किया जायेगा एवं घर-घर जाकर ग्राम शिक्षा पंजी को अद्यतनीकरण किया जायेगा। जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को चिन्हित कर शाला में दर्ज कराया जावेगा।

(16) स्कूल चलें हम अभियान 2015 के दौरान शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन हुआ या नहीं और नामांकित बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं या नहीं।

(17) शिक्षा सत्र के प्रारंभ में कक्षा-1, कक्षा-6 एवं कक्षा-9 में प्रवेश लेने वाले बच्चों की सूची पर चर्चा किया जाकर प्रवेश दिलाने हेतु पालकों को जून, 2015 तक को शाला में आने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।

(18) ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले स्कूलों में स्वीकृत पदों पर शिक्षक पदस्थ है या नहीं। पदस्थ शिक्षक नियमित रूप से शाला आते हैं, कि नहीं की समीक्षा एवं शिक्षकों की उपस्थित पर निगरानी रखी जावे।

(19) शाला प्रबंध समिति द्वारा शाला का निरीक्षण किया जाता है, कि नहीं तथा निरीक्षण के दौरान छात्र उपस्थिति रजिस्टर और शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन कर, निरीक्षण टीप दी जाती है, के नहीं।

(20) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में मेनू के अनुसार रुचिकर भोजन का प्रदाय पूर्ण साफ-सफाई से किया जावे तथा बच्चों को भोजन खिलाने के पहले उसको संबंधित शिक्षक एवं शाला प्रबंधन समिति द्वारा चखा जावे।

(21) ग्रामीण क्षेत्र में अन्त्योदय कार्डधारी निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों एवं माताओं के द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जावेगा।

(22) अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु चिन्हित ग्रामों में आयोजित होने वाले स्नेह शिविरों में समुदाय की सक्रिय सहभागिता की सुनिश्चितता। ग्रामसभा में ग्राम के अति कम वजन के बच्चों की जानकारी प्रस्तुत की जाकर, उनके पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय के माध्यम से सतत निगरानी रखी जाना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामसभा में उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी।

(23) 'स्नेह सरोकार' के अंतर्गत अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार तथा आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन के लिये आवश्यक सुविधाओं एवं संसाधनों की पूर्ति हेतु जनप्रतिनिधि/जनसमुदाय/औद्योगिक संस्थानों से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास करना।

(24) पोषण स्तर के आधार पर अति कम वजन वाले बच्चों को मापदंड अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्र में पोषण प्रबंधन हेतु भेजे जाने की आवश्यकता पर समुदाय द्वारा ऐसे बच्चों के अभिभावकों को समझाईश दिया जाना। अन्य गैर चिकित्सा आवश्यकता वाले अति कम वजन वाले बच्चों का खानपान इत्यादि सुधार हेतु समुदाय द्वारा प्रबंधन किया जाना।

(25) अति कम वजन वाले बच्चों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाया जाना।

(26) आगामी बरसात के दौरान किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिये जगह का चयन किया जाए एवं वृक्षारोपण के पूर्व की तैयारी की जाए।

(27) समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी जावे।

(28) पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में बनने वाले मार्गों का चिन्हांकन कर लिया जाए।

(29) मनरेगा योजनांतर्गत आने वाले सामुदायिक कार्यों का चयन किया जाना चाहिए।

(30) पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्य गुणवत्तायुक्त हों, की निगरानी पर चर्चा।

(31) प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत खोले गये बैंकिंग करेस्पॉन्डेन्ट (बी.सी.) पंचायत भवनों में कार्य करें या पंचायतों के समीप खोले जाएं।

(32) सभी हितग्राहियों के खातों को समग्र नंबर से लिंक करें, जहां आधार कार्ड उपलब्ध हो उसे भी बैंक खाते से लिंक करें।

(33) ग्राम पंचायत अंतर्गत निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग (अनुश्रवण) किया जाए।

(शोभा निकुंम)
अवर सचिव, म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल स्टेडियम का निर्माण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में विभिन्न खेल प्रतिभाओं को उभारने और ग्रामीण बच्चों के शारीरिक विकास करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल परिसर या स्टेडियम बनाने की योजना है। इस संबंध में विभाग द्वारा स्टेडियम या खेल परिसर के निर्माण और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए कुछ तकनीकी निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

विकास आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश
विंध्याचल भवन भोपाल
eincmpres@gmail.com दूरभाष का. 0755-2551398

क्रमांक 1372/22/वि-10/ग्रायांसे/2015 **भोपाल दि. 07/03/2015**

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री (समस्त)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल
2. कार्यपालन यंत्री (समस्त)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग

विषयः- म.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम/खेल परिसर के निर्माण हेतु तकनीकी निर्देश।

संदर्भः- 1-म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय का ज्ञाप क्रमांक एफ-2-4/2012/22/पं.-1 दिनांक 18.01.2013।

2- संचालनालय, पंचायत राज का पत्र क्र. पं.रा/परफार्मेंस ग्रान्ट/ग्रायांसे/2015/1817 दिनांक 24.02.2015

पंचायत, राज संचालनालय द्वारा जारी किये गये संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जो कि आयुक्त, पंचायत राज एवं प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित है। कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिये पत्र में उल्लेखित कार्यवाही के अलावा निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. स्थल चयन : जैसा कि संदर्भ क्रमांक-1 में उल्लेखित है खेलकूद मैदान के लिये स्थान के चयन में संबंधित जिला पंचायत के विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक की सहभागिता सुनिश्चित की जावे। स्थल का चयन एवं शासकीय भूमि का आवंटन जिला स्तरीय खेल अधिकारी के समन्वय से करते हुए संबंधित जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जावे। यह कार्य तुरंत पूर्ण करना है एवं अधिक से अधिक 20 मार्च 2015 तक इस कार्य के पूर्णता की रिपोर्ट इस कार्यालय को दी जाए।

यह ध्यान में रखा जावे की फुटबाल मैदान में 1.00 प्रतिशत से 1.50 प्रतिशत ढलान की आवश्यकता होती है। अतः सामान्यतः ड्राइंग में दर्शित आकार की ऐसी भूमि का चयन करना चाहिये कि भूमि के प्राकृतिक ढलान बहुत अधिक न हो या भूमि गहरे गड्ढे जैसी न हो।

भूमि का चयन होने के उपरान्त भूमि के आवंटन की प्रक्रिया जिला स्तरीय खेल अधिकारी द्वारा की जावेगी, परन्तु विवादरहित भूमि के चयन के उपरान्त भूमि का सर्वेक्षण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री द्वारा बिना विलम्ब किया जावे।

2. भूमि का सर्वेक्षण एवं ड्रेनेज प्लान : खेल मैदान का विकास करने के लिये 02 बातें मुख्य रूप से विचार की जानी चाहिये, पहली यह की जो भी खेल खेला जा रहा है उसको समतल भूमि मिले एवं भूमि की ढलानें ऐसी न हो कि खेल में व्यवधान हो और दूसरी यह की खेल मैदान या स्टेडियम में पानी का भराव न हो, कीचड़ न हो तथा वर्षा का पानी जितना जल्दी हो सके स्टेडियम के बाहर बह जाये। उचित ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये इस सिद्धान्त का पालन किया जावे कि "तेज वर्षा होने के बावजूद 10 से 15 मिनिट में सारा जल मैदान से हट जावे।"

उपरोक्त स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिये भूमि का दो प्रकार का सर्वेक्षण किया जाना होगा। पहला सर्वेक्षण टोपाग्राफिकल सर्वेक्षण होगा और दूसरा ज्योलॉजिकल अन्वेषण होगा।

(क) टोपाग्राफिकल सर्वेक्षण : भूमि की विद्यमान प्राकृतिक स्थिति का आंकलन करने के लिये कम इन्टरवल्स पर लेवल्स लेना होगा। इसके लिये स्थल चयन के उपरान्त सम्पूर्ण मैदान एवं उसके बाहर दोनों ओर 50 मीटर तक के 5 मीटर वर्गाकार ग्रिड में लेवल्स लिये जायें। स्थल की आवश्यकतानुसार ग्रिड इन्टरवल्स कम या अधिक रखे जा सकते हैं। वैलीज को चिन्हांकित कर आवश्यकतानुसार लांजिटयूडिनल लेवल्स भी लिये जायें। इन लेवल्स को शीट पर प्लाट किया जाये एवं मैदान का ड्रेनेज प्लान बनाया जाये।

(ख) ज्योलॉजिकल अन्वेषण : भूमि की ड्रेनेज प्रकृति एवं संरचनाओं की जीवन निर्धारण को जांचने के लिये उपयुक्त स्थानों पर ट्रायल पिट खोदे जायें एवं प्राप्त होने वाले ज्योलॉजिकल स्ट्रेटा का विवरण रखा जाये।

(ग) ड्रेनेज प्लान तैयार करना : ड्रेनेज प्लान तैयार करने में इस तथ्य का ध्यान रखा जाये की मैदान का क्राउन मैदान के बीचों बीच होना चाहिये एवं ढलान 1-1.5 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। रनिंग ट्रेक के लिये सुपरएलीवेशन एवं लेवल्स आदि का विशेष महत्व है। यदि प्राकृतिक ढलान अनुमत करें तो क्राउन से चारों ओर ही इसी प्रकार का ढलान रखा जाये परन्तु यदि यह संभव न हो तो मैदान की लंबी भुजा के केन्द्र से दोनों ओर भी ढलान रखा जा सकता है। इस ढलान से बहने वाला पानी समुचित स्थानों पर बनाई गई ऐसी भूमिगत नालियों जो कि ड्रेनेज मटेरियल से भरी हों, के द्वारा मैदान के बाहर ड्रेन आउट किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये 400 मीटर ट्रेक के भीतरी या बाहरी और जैसा भी स्थल की स्थिति हो 60 से.मी. गहरी और 45 से.मी. चौड़ी भूमिगत नाली का निर्माण ट्रेक के आकार के साथ किया जाना होगा। इन नालियों में ट्रेक के भीतर मैदान का तथा ट्रेक के बाहरी ओर का पानी तथा 20 मीटर चौड़े दर्शक स्थल का पूरा पानी ड्रेन आउट होना चाहिये। उपरोक्त मुख्य ड्रेन्स में पानी ले जाने के लिये 20-30 मीटर की दूरी पर 30 से.मी. x 30 से.मी. आकार की लेटरल या कैरियर ड्रेन्स की आवश्यकता भी हो सकती है। स्थल की आवश्यकता अनुसार ड्रेनेज की अन्य व्यवस्था भी प्रस्तावित की जा सकती है, परन्तु यह सुनिश्चित होना चाहिये कि मैदान का पूर्ण ड्रेनेज हो। इस व्यवस्था के अलावा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि यह भूमिगत नालियां खुदाई की जाकर कच्ची एग्रीगेट ड्रेन के रूप में बनाई जायेंगी जिसमें संलग्न टेबल 1 के अनुसार (क्लाज 6.6 टेबल 6.7 ऑफ आई.आर.सी. एस.पी. 20 रूरल रोड्स मैन्युअल) सामग्री भरी जायेगी। इन नालियों के पानी का निकास मैदान के बाहर भी भूमिगत नालियों से ही होना चाहिये। यह सुनिश्चित किया जावे कि मैदान का पानी भूमिगत नालियों में इकट्ठा हो एवं भूमिगत नालियों का पानी मैदान के बाहर ऐसे निचले स्थान पर निकल जाये जहां से सुनिश्चित तरीके से पानी का निकास संभव हो सके। उपरोक्त आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुये ड्रेनेज प्लान बनाया जाना चाहिये।

3. स्टेडियम मैदान विकास की आयोजना : ऊपर बिन्दु 2(ग) में खेल मैदान के फिनिश्ड सर्फेस स्लोप्स का विवरण दिया गया है। इन स्लोप्स में ही मैदान को इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऊपरी सतह पर 3 इंच अर्थात 75 मि.मी. मोटाई में मिट्टी एवं रेत का ऐसा मिश्रण (Given the need for internal drainage and resistance to compaction, soil with a high sand content are needed. Loam, clay loam, and clay textured soils are not well suited for sports fields and should be avoided. If possible, sandy soils containing less than 10% silt and 5% clay should be located for the use in new construction) बिछाया जाये ताकि इस परत से पानी का रिसाव नीचे की परत तक आसानी से हो एवं साथ ही इस मिट्टी में (ट्रेक को छोड़कर) प्राकृतिक टर्फ लगाई जाकर संधारित की जा सके। इस 75 मि.मी. मोटी मिट्टी की सतह के नीचे 4 इंच अर्थात 100 मि.मी. मोटाई में ड्रेनेज लेयर डाली जाये। इस ड्रेनेज लेयर में मुख्य रूप से बजरी या नान-प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया जायेगा जो कि संलग्न टेबल 2 के अनुसार होना चाहिये ताकि उचित ड्रेनेज संभव हो सके। इसी प्रकार यदि समतल मैदान हो तो लगभग 7 इंच मोटी परतें बिछाई जाना जरूरी होगा। उपरोक्त व्यवस्था से वर्षा का पानी मैदान की सतह पर गिरने के बाद ड्रेनेज लेयर में रिसेगा एवं इस लेयर से लेटरल ड्रेन्स के माध्यम से मुख्य एग्रीगेट ड्रेन से होता हुआ मैदान के बाहर ड्रेन आउट होगा। सामान्य मिट्टी क्षेत्रों में उक्त व्यवस्था ड्रेनेज के लिये उचित हो सकती है परन्तु काली मिट्टी क्षेत्रों में यह आवश्यक होगा कि ड्रेनेज लेयर की मोटाई 15 से 20 से.मी. हो, अतः ड्रेनेज व्यवस्था मुख्य रूप से स्थल पर मिलने वाली मिट्टी के अनुसार तैयार की जाना होगा। यह व्यवस्था केवल मार्गदर्शन के लिये दी जा रही है, स्थल की आवश्यकतानुसार इस व्यवस्था में उचित परिवर्तन किया जाये।

4. उपरोक्त सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं आयोजना के उपरान्त पूरे कार्य की डी.पी.आर. तैयार की जाये, जिसमें निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किये जाये :-

- मैदान का विकास एवं ड्रेनेज व्यवस्था।
- बाउण्ड्रीवाल, गेट्स आदि का निर्माण।
- 400 मीटर ट्रेक के बाहर 3 मीटर चौड़ाई में ग्रेवल की सड़क एवं इस सड़क का सभी प्रवेश द्वारों तक आवश्यकतानुसार चौड़ाई में निर्माण।
- दर्शक दीर्घा जिसमें स्टेप्स तथा स्टेप्स के नीचे के हॉल्स एलिवेशन में दर्शाये अनुसार दीवार तथा दरवाजे आदि की व्यवस्था एवं शौचालय का

निर्माण।

- पेयजल व्यवस्था के लिये ट्यूबवेल का निर्माण। ट्यूबवेल में सबमर्सिबल पम्प एवं उचित आकार की ओवरहेड टंकी तथा सामान्य जनता के लिये पेयजल टेप आदि।
- दर्शक दीर्घा/पवेलियन का विद्युतीकरण एवं सभी प्रवेश द्वारों पर उचित प्रकाश व्यवस्था।
- स्टेडियम के चारों ओर ग्रेवल सड़क का निर्माण।

उपरोक्त डी.पी.आर. तैयार होने के बाद प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जाये एवं साथ ही निविदायें आमंत्रित की जायें। निविदायें नये टेण्डर डाक्यूमेंट पर आमंत्रित हों। डीपीआर तैयार होते ही इसे अधीक्षण यंत्री को परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाए एवं यह अधीक्षण यंत्री का उत्तरदायित्व होगा की स्टेडियम की सम्पूर्ण आयोजना निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। प्रत्येक अधीक्षण यंत्री को चाहिये कि इस प्रतिष्ठापूर्ण कार्य के सभी स्थल उनके द्वारा स्वयं देखे जायें एवं अपने अधीनस्थ अमले को उचित मार्गदर्शन दिया जाए।

5. संपूर्ण स्टेडियम तैयार होने में कुल लगभग रुपये 160 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें से रु. 80 लाख लागत का प्री-फेब्रिकेटेड इन्डोर स्टेडियम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान योजना के तहत् लगाया जावेगा। शेष रु. 80 लाख लागत में स्टेडियम के लिये भूमि विकास एवं ड्रेनेज, बाउण्ड्रीवॉल तथा गेट्स, दर्शक दीर्घा एवं शौचालयों के निर्माण, विद्युतीकरण एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाना है। जिला पंचायत को अनुरोध किया जाये कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस कार्य को उपलब्ध कराये जा रहे रु. 80 लाख लागत के प्रकरण की प्रशासकीय स्वीकृति उनके द्वारा जारी हो, परन्तु यदि वर्तमान परिवेश में प्रत्येक स्टेडियम को केवल रुपये 50 लाख की स्वीकृति जारी की जाती है तो भी निविदा सम्पूर्ण कार्य की ही लगाई जाना होगी। जैसे ही डी.पी.आर. पूरी होती है एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा उसका परीक्षण कर लिया जाता है, एक प्रति इस कार्यालय को जांच हेतु भेजी जाये।

6. निर्माण कार्य संपादन : ऊपर के बिन्दुओं में उल्लेख से स्पष्ट होता है कि यह कार्य कोई साधारण रुटीन का कार्य नहीं है, इस कार्य में तकनीकी कार्य कुशलता का पूर्ण उपयोग किया जाना है। अतः कार्य को उपयंत्री से लगाकर मुख्य अभियंता तक गंभीरता से लिया जाए। यह कार्य ठेकेदार की मर्जी पर किसी भी स्थिति में न छोड़ा जाए एवं प्रत्येक गतिविधि पर सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री का सम्पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। विस्तृत ड्राईंग्स का एक सेट शीघ्र ही आपको पृथक से भेजा जा रहा है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रमुख अभियंता द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि उत्कृष्ट गुणवत्ता के स्टेडियम का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा न्यूनतम समय में सुनिश्चित किया जायेगा। अतः विश्वास है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का मैदानी अमला पूर्ण तत्परता से इस कार्य को पूर्ण करेगा। यदि इस विषय पर कोई भी आंशका हो अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ई-मेल आईडी pkkatare@nic.in पर निःसंकोच संदर्भ किया जाये।

(प्रभाकांत कटारे)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक-1373/पं.रा/परफारमेंस ग्रान्ट/ग्रायांसे/2015 **दिनांकः 07/03/2015**

प्रतिलिपिः-

1. विकास आयुक्त म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल।
4. संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त मध्यप्रदेश।

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल